रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

CENTRAL S... LIBRARY
Ho
2/11/99
GOV...

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1999/आश्विन 23, 1921
No. 631] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1999/ASVINA 23, 1921

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1999

का. आ. 1036(अ).– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम,1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ तैंतालीसवां संशोधन) नियम,1999 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य -आबंटन) नियम,1961 की,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(क) '1. कृषि मंत्रालय' शीर्ष के अधीन '(iii) पशुपालन और डेरी विभाग' उपशीर्ष के पश्चात् , निम्नलिखित उपशीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

'(iv) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग' ;

(ख) '4. कोयला मंत्रालय' शीर्ष का लोप किया जाएगा ।

(ग) '5. वाणिज्य मंत्रालय' शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् :-

'5. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(i) वाणिज्य विभाग
(ii) औद्योगिक विकास विभाग
(iii) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(iv) पूर्ति विभाग ' ;

(घ) '6. संचार मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, ' दूरसंचार विभाग' उपशीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

"(ii) डाक विभाग' ;

(iii) दूरसंचार सेवा विभाग ';

(ङ) '6. संचार मंत्रालय' शीर्ष और उसके उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

'6क. संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय'

(i) संस्कृति विभाग
(ii) युवक कार्यक्रम और खेल विभाग ;

(च) '11. खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय' शीर्ष और उसके उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् -

'11. उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(i) सार्वजनिक वितरण विभाग ।
(ii) उपभोक्ता मामले विभाग ।
(iii) शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग ;

(छ) '12. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय' शीर्ष का लोप किया जाएगा ;

(ज) '13. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों के पश्चात् , निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

'13क. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(i) भारी उद्योग विभाग ।
(ii) लोक उद्यम विभाग ;

(झ) '15. मानव संसाधन विकास मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, उसके उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात् -

'(i) प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग ।
(ii) माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग ।
(iii) महिला और बाल विकास विभाग' ;

(ञ) '16. उद्योग मंत्रालय' शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों का लोप किया जाएगा ;

(ट) '17. सूचना और प्रसारण मंत्रालय' शीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'17क. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' ;

(ठ) '19. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय' शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

'20. खान और खनिज मंत्रालय

(i) कोयला विभाग
(ii) खान विभाग' ;

(ड) '25. योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय' शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

'25. योजना मंत्रालय

(ढ) '28. ग्रामीण विकास मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, '(ii) भूमि संसाधन विभाग' उपशीर्ष के पश्चात् , निम्नलिखित उपशीर्ष जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

"(iii)पेय जल पूर्ति विभाग' ;

(ण) '29. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय' शीर्ष और उसके अधीन उपशीर्षों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् -

'29क. लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

29ख. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय';

(त) '30. इस्पात और खान मंत्रालय' शीर्ष और उसके अंतर्गत उपशीर्षों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-

'30. इस्पात मंत्रालय' ;

(थ) '31. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, निम्नलिखित उपशीर्ष अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(i) पोत परिवहन विभाग ।
(ii) सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ';

(द) '32क. पर्यटन मंत्रालय' शीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'32ख. जनजाति कार्य मंत्रालय

(ध) '33.शहरी विकास मंत्रालय' शीर्ष के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'33क. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ';

(न) '37. इलैक्ट्रानिकी विभाग ' शीर्ष का लोप किया जाएगा' ।

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(क) 'कृषि मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, 'ग. पशुपालन और डेरी विभाग' उप-शीर्ष और उसके अधीन प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित उपशीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

'घ. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग

1. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में वहां तक समीचीन है, जहां तक वे निम्नलिखित से संबंधित है :

(क) कुछ कृषि उत्पादों (दुग्ध चूर्ण, शिशु दुग्ध आहार,माल्ट मिश्रित दुग्ध आहार,संघनित दुग्ध,घी और अन्य डेरी उत्पाद) कुक्कुट और अंडे,मांस और मांस उत्पादों का संसाधन और प्रशीतन ;

(ख) मछलियों का संसाधन (जिसके अंतर्गत डिब्बाबंदी और हिमीकरण भी सम्मिलित है) ;

(ग) मत्स्य संसाधन उद्योग के लिए विकास परिषद का स्थापन और उसकी प्रबंध व्यवस्था ;

(घ) मत्स्य संसाधन उद्योगों को तकनीकी सहायता और सलाह;

(ङ.) फल और सब्जी संसाधन उद्योग (जिसके अंतर्गत हिमीकरण और निर्जलीकरण भी हैं) ; और

(च) खाद्यान्न पिसाई उद्योग ।

2. उन उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जो डबल रोटी, तिलहन, चूर्ण (खाने योग्य), नास्ते के आहार, बिस्कुट, मिष्ठान (जिसके अंतर्गत कोको संसाधन और चाकलेट बनाना भी है), माल्ट सार, पृथक्कृत प्रोटीन, उच्च प्रोटीन आहार, स्तनय त्याग आहार और उत्सारित खाद्य उत्पाद, (जिसके अंतर्गत तत्काल खाने योग्य अन्य आहार भी हैं) से संबंधित है ।

3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए विशिष्ट पैकेजिंग ।

4. बीयर जिसके अंतर्गत नान अल्कोहली बीयर भी है ।

5. ऐसे एल्कोहली पेय जिनका आधार शीरे पर न हो ।

6. वातित जल और सुपेय ।

7. माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड ।

8. नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।';

(ख) 'कोयला मंत्रालय' शीर्ष और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) 'वाणिज्य मंत्रालय' शीर्ष और उपशीर्षों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्-

' वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

क. वाणिज्य विभाग

I साधारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति

1. अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति ।

2. वाणिज्यिक नीति से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण (जैसे कि यू.एन.सी.टी.ए.डी., ई.एस.सी.ए.पी., ई.सी.ए., ई.सी.एल.ए., ई.ई.सी., ई.एफ.टी.ए., जी.ए.टी.टी.) ।

3. गेहूं से संबंधित करार से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय वस्तु करार ।

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से संबंधित सभी विषय जिनमें टैरिफ और टैरिफ इतर अवरोध भी है ।

II विदेश व्यापार

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय जिनमें व्यापार वार्ता और करार (जिनमें टैरिफ और व्यापार विषयक साधारण करार और राष्ट्रमंडल टैरिफ अधिमान सम्मिलित हैं), व्यापार मिशन और प्रतिनिधिमंडल, व्यापार सहयोग और संवर्धन और विदेशस्थ भारतीय व्यापारियों के हितों का संरक्षण सम्मिलित है ।

6. आयात और निर्यात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित नहीं है :

   (i) कथा चित्रों का आयात ;
   (ii) भारतीय फिल्मों का निर्यात, दीर्घ और लघु कथाचित्र दोनों ; और
   (iii) फिल्म उद्योग द्वारा अपेक्षित सिनेफिल्म (अनुभासित) और अन्य वस्तुओं का आयात और वितरण ।

7. मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात ।

III राज्य व्यापार

8. राज्य व्यापार नीतियां तथा इस प्रयोजन के लिए स्थापित संगठनों का कार्य निष्पादन जिसमें निम्नलिखित भी है :

   (i) राज्य व्यापार निगम तथा उसके सहायक संगठन जिसमें हस्तशिल्प और हैन्डलूम निर्यात निगम तथा केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम नहीं है ।

   (ii) खनिज और धातु व्यापार निगम तथा उसके सहायक संगठन ।

IV शत्रु के साथ व्यापार : शत्रु संपत्ति-

9. शत्रु के साथ व्यापार; शत्रु फर्में और शत्रु संपत्ति हानिपूर्ति (जर्मन औद्योगिक उपस्कर से भिन्न); शत्रु व्यापार नियंत्रक; शत्रु फर्मों के नियंत्रक; भारत के लिए शत्रु संपत्ति अभिरक्षक ।

10. टैरिफ आयोग से संबंधित अवशिष्ट कार्य सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क टैरिफ ब्यूरो ।

11. सभी वस्तुओं, उत्पादों, विनिर्माणों और अर्ध-विनिर्माणों से संबंधित निर्यात उत्पाद का विकास और विस्तार जिसमें निम्नलिखित भी हैं :

(क) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) के अंतर्गत आने वाली कृषि उपज ;

(ख) समुद्री उत्पाद ;

(ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी सामान, रसायन, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि) ;

(घ) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पाद ;

(ङ) विनिर्दिष्ट निर्यातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बागान उपज आदि तो आते हैं किन्तु पटसन उत्पाद और हस्तशिल्प नहीं आते हैं जो प्रत्यक्षत: इस विभाग के नियंत्रण में हैं)

12. वे सभी संगठन और सभी संस्थाएं, जो निर्यात उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं , जिनमें निम्नलिखित भी हैं :

(क) निर्यात साख और प्रत्याभूति निगम ।
(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् ।
(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय ।
(घ) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ।
(ङ) मुक्त व्यापार क्षेत्र ।

13. विदेशों में विभिन्न उद्योग स्थापित करने में सहायता के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व।

14. निर्यात उद्यम के लिए प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए परियोजनाएं और कार्यक्रम।
15. बागान उपज, चाय, काफी,रबड़ और इलायची का उत्पादन, वितरण (देश में खपत और निर्यात के लिए) और विकास ।
16. देश में खपत और निर्यात के लिए इंस्टैंट चाय और इंस्टैंट काफी का संसाधन और वितरण ।
17. **(i)** भारतीय चाय व्यापार निगम ।

(ii) चाय बोर्ड ।

(iii) काफी बोर्ड ।

(iv) रबड़ बोर्ड ।

(v) इलायची बोर्ड ।

(vi) तम्बाकु बोर्ड ।

(ख) औद्योगिक विकास विभाग

I औद्योगिक नीति

1. औद्योगिक प्रबंध

2. उद्योगों में उत्पादकता

II औद्योगिक सहकारिता

3. सहकारी चीनी कारखानों के सिवाय, औद्योगिक सेक्टर में सहकारिता ।

4. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और तद्धीन बनाए गए विनियमों का प्रशासन ; केन्द्रीय बायलर बोर्ड ।

5. विस्फोटक- विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) और तद्धीन बनाए गए नियमों का प्रशासन, किन्तु विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) का नहीं ।

6. ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) ।

III. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

7. ओटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन, पूना ।

8. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद् ।

9. इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चर्स रिसर्च एसोसिएशन , मुंबई ।

IV. पेटेंट और डिजाइन, आदि

10. अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों और कच्ची सामग्री का मानकीकरण ।

11. डिजाइन अधिनियम, 1911 (1911 का 2) ।

12. व्यापार और पण्य चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) ।

13. पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) ।

V. सामग्री योजना

14. उत्पादों के विशिष्ट समूहों और उपलभ्य क्षमता में सेक्टरों, उद्योगों और बड़े एककों द्वारा की गई कच्चे माल की मांगों का समन्वित निर्धारण ।

15. आयात प्रतिस्थापन की साध्यता का सम्यक ध्यान रखते हुए देशी कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण ।

16. तालिकाओं के लिए सम्यक छूट का ध्यान रखते हुए कच्चे माल के आयात की आवश्यकताओं का निर्धारण ।

17. कच्चे माल के आबंटन के लिए सिद्धांतों, पूर्विकताओं और प्रकियाओं का अवधारण।

18. सामग्री योजना से संबंधित सभी अन्य मामले ।

VI. अन्य विषय

19. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

ग. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

I. औद्योगिक नीति

1. साधारण औद्योगिक नीति ।

2. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का प्रशासन ।

II. उद्योग और औद्योगिक तथा तकनीकी विकास

3. सभी उद्योगों की योजना, विकास, नियंत्रण और सहायता जिसमें किसी अन्य विभाग के अंतर्गत आने वाले उद्योग नहीं आते ।

4. नागर विमानन मंत्रालय और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के परामर्श से बनाए जाने वाले सिविल वायुयान के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना के लिए अनुज्ञप्तियां जारी करना ।

5. केबिल ।

6. हल्के इंजीनियरी उद्योग (उदाहरणार्थ सिलाई मशीनें , टाइपराइटर,तोलने की मशीनें, बाइसिकिल आदि) ।

7. हल्के उद्योग (उदाहरणार्थ प्लाईवुड,लेखन सामग्री,दिया सलाई,सिगरेट, आदि)।

8. हल्के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी उद्योग ।

9. अप्रयुक्त फिल्में ।

10. हार्ड बोर्ड ।

11. कागज और अखबारी कागज ।

12. टायर और ट्यूब ।

13. नमक ।

14. सीमेंट ।

15. तकनीकी विकास जिसके अंतर्गत औद्योगिक लागत और कीमत ब्यूरो तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी है ।

16. साबुन और अपमार्जक ।

17. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ।

18. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश ।

घ. पूर्ति विभाग

1. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभागों को, जिसके अंतर्गत उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय और संघ राज्य क्षेत्र भी हैं , के लिए सामग्रियों का क्रय और भण्डार निरीक्षण, उन मदों से भिन्न, जिनका क्रय और सामग्रियों का निरीक्षण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है ।

2. उन राज्य सरकारों , पब्लिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, अर्ध-सरकारी निकायों, आदि की ओर से सामग्रियों का क्रय और निरीक्षण जो इस विभाग की सेवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं ।

3. उक्त प्रविष्टि 1 और 2 में निर्दिष्ट प्राधिकरियों की ओर से (पूर्ति और निपटान महानिदेशालय) विभाग द्वारा दी गयी संविदाओं के संबंध में की गई पूर्ति के लिए संदाय की व्यवस्था करना ।

4. विभाग द्वारा दिए गए आदेशों और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों, स्वशासी निकायों, आदि द्वारा दिए गए आदेशों के संबंध में आयातित सामग्री की निकासी की व्यवस्था करना, यदि ऐसा करना आवश्यक हो ।

5. जहां आवश्यक हो, विभाग द्वारा दी गई संविदाओं के संबंध में या जहां ऐसा कार्य इस विभाग को अन्य प्राधिकारियों द्वारा सौंपा जाए , वहां सामग्री की लदाई की व्यवस्था करना ।

6. ऐसी अधिशेष सामग्रियों का निपटान जो, उनसे भिन्न हैं जिनके लिए विभिन्न प्राधिकारियों को साधारण या विशेष आदेश द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ।

7. सामग्रियों, उत्पादों,उपकरणों और प्रणालियों की जांच और मूल्यांकन; जांच प्रौद्योगिकी तथा संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान और विकास ; तथा सोपानक-II के स्तर में अंशशोधन और जांच आंकड़ों, आदि का अनुरक्षण ।

8. भारतीय पूर्ति सेवा का संवर्ग प्रबंध और उक्त सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

9. भारतीय निरीक्षण सेवा का संवर्ग प्रबंध और उक्त सेवा के लिए प्रशिक्षण, वृत्ति योजना और जन शक्ति योजना से संबंधित सभी विषय ।

10. निम्नलिखित का प्रशासन :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली ।
(ख) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
(ग) नेशनल टेस्ट हाउस, अलीपुर, कलकत्ता ।' ;

(घ) 'संचार मंत्रालय' शीर्ष के अंतर्गत, उपशीर्षों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

'क. दूरसंचार विभाग'

1. दूरसंचार विभाग से संबंधित विषयों के बारे में अन्य देशों के साथ की गई संविदाओं और करारों का कार्यान्वयन ।

2. तार, टेलीफोन, बेतार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलीमेटिक सेवाओं के नीतिगत विषय तथा संचार के ऐसे ही अन्य रूप ।

3. दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिनके अंतर्गत इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आई0टी0यू0) इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन बोर्ड (आई0एफ0आर0बी0) , कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इंटरनेशनल टेलीग्राफ एंड टेलीफोन्स (सी0सी0आई0 टी0टी0), कंसल्टेटिव कमेटी ऑन इंटरनेशनल रेडियो (सी0सी0आई0आर) इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सटेलाइट आर्गेनाइजेशन (इंटलेसेट) इंटरनेशनल मैरीटाइम सेटेलाइट आर्गेनाइजेशन (इनमारसैट), एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेशन (ए0टी0पी0) जैसे दूरसंचार के संबंध में कार्रवाई करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय निकायों से संबंधित मामले भी हैं ।

4. दूरसंचार में अनुसंधान और विकास का संवर्धन ।

5. इस सूची के किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रशासन, अर्थात्:

(i) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) ।
(ii) भारतीय बेतार-तार यांत्रिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) ।
(iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ।

6. दूरसंचार विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।

7. दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए तथा दूरसंचार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :

(i) उच्च वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के लिए संस्थाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को सहायता ; और
(ii) शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तियां मंजूर करना और व्यक्तियों को अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करना जिनमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो दूरसंचार के क्षेत्र में अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं ।

8. दूरसंचार विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की अधिप्राप्ति ।

9. दूरसंचार विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।

10. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ।

11. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले की बाबत विधि का प्रशासन, अर्थात्:

(i) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) ।
(ii) भारतीय बेतार-तार यांत्रिक अधिनियम, 1933 (1933 का 17) ।
(iii) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) ।

12. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के प्रयोजन के लिए पूछताछ और आंकड़े ।

13. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में फीस,किन्तु इसमें किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस सम्मिलित नहीं है ।

14. दूर-संचार आयोग ।

ख. डाक विभाग

1. अन्य देशों के साथ ऐसी संधियों और करारों का कार्यान्वयन जिनका संबंध डाक विभाग में व्यवहृत मामलों से है ।
2. डाक विभाग के पूंजी बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन और भूमि का क्रय ।
3. डाक, जिसके अंतर्गत डाकघर बचत बैंक (प्रशासन) , डाकघर प्रमाण-पत्र (प्रशासन) और डाकघर जीवन-बीमा निधि (प्रशासन) भी है ।
4. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित विधियों के विरूद्ध अपराध ।
5. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत फीस किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।

ग. दूर संचार सेवा विभाग

1. दूर - संचार से संबंधित पूंजीगत बजट के प्रति विकलनीय संकर्मों का निष्पादन, जिसके अन्तर्गत भूमि का क्रय और अर्जन भी है ।

2. तार, टेलिफोन, बेतार, आंकड़े, प्रतिकृति संबंधी और टेलिमेटिक सेवाएं तथा संचार के ऐसे ही अन्य रूप से संबंधित नीतिगत मामलों से भिन्न सभी मामले ।

3. भारतीय टेलिफोन उद्योग लिमिटेड, हिन्दुस्तान टेलिप्रिन्टर्स लि0, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड़, विदेश संचार निगम लिमिटेड़ और टेलिकम्यूनिकेशंस कंसल्टेंट्स (इन्डिया) लिमिटेड़ ।

4. दूरसंचार सेवा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।

5. टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) से संबंधित सभी मामले ।

6. दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा अपेक्षित सामग्री और उपस्कर की अधिप्राप्ति ।

7. दूरसंचार सेवा विभाग से संबंधित वित्तीय मंजूरियां ।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के प्रयोजन के लिए जांच और आंकडे ।

9. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के भी बाबत फीस किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है ।';

(ङ.) 'संचार मंत्रालय' शीर्ष और तद्धीन उपशीर्षों और प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

'संस्कृति, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क. संस्कृति विभाग

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय ; भारतीय संग्रहालय ; भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक ऐशियाटिक सोसाइटी ; कलकत्ता और भारतीय युद्ध स्मारक तथा ऐसी सभी अन्य संस्थाएं जिनका वित्त पोषण पूर्णत: या अंशत: भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जो संसद ने विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की हैं ।

2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।

3. पुरातत्व, पुरातत्त्वीय संग्रहालय ।

4. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) और प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7) ।

5. ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।

6. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।

7. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।

8. जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक निधि ।

9. गांधी स्मृति समिति और गांधी दर्शन का प्रशासन ।

10. पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम और प्रैस और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची – पत्र देने का संबंध है) ।

11. ललित कलाओं की अभिवृद्धि ।

12. साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमियां ।

13. केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता; रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी; इंडिया आफिस लाइब्रेरी; राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली; सालारजंग संग्रहालय और पुस्तकालय, हैदराबाद; खुदाबख्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी; नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय; गांधी दर्शन समिति; राष्ट्रीय चित्र दीर्घा; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली; राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता और इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; संग्रहालयों का व्यापक विकास ।

14. रत्न और आभूषण संग्रहालय ।

15. राष्ट्रीय नवकला भवन, नई दिल्ली ।

16. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

17. निखात निधि; पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52) तथा पुरावशेषों का निर्यात ।

18. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।

19. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन आने वाले प्रवर्गों के लेखकों और कलाकारों से भिन्न निर्धनावस्था वाले लेखकों और कलाकारों को या उनके उत्तरजीवियों को वित्तीय सहायता ।

20. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

21. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ।

22. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।

23. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान ।

24. भारतीय विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।

25. दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक करार और मैत्री संधियां ।

26. विदेशों से दान में प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।

27. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।

28. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।

29. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं) ।

30. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।

31. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।

32. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।

33. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।

34. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन ।

35. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

36. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।

37. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।

38. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियां और वार्षिकोत्सव मनाना ।

39. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित सूचना और आंकड़ों का प्रकाशन।

40. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑव ओरियंटलिस्टस ।

41. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ।

42. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ।

43. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।

44. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कलकत्ता ।

45. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी से संबंधित अन्य सब संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

46. रवीन्द्र रंगशाला ।

47. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ।

48. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद ।

49. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई0जी0एन0ए0) ।

50. राष्ट्रीय नाट्यगृह ।

ख. युवक कार्यक्रम और खेल विभाग

1. कीड़ा नीति ।

2. कीड़ा और खेल ।

3. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि ।

4. नेताजी सुभाष राष्ट्रीय कीड़ा संस्थान ।

5. भारतीय क्रीड़ा प्राधिकरण ।

6. भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल परिसंघ से संबंधित मामले ।

7. विदेशों में टूर्नामेंट में भारतीय कीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना और भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में विदेशी क्रीड़ा टीमों द्वारा भाग लेना ।

8. राष्ट्रीय कीड़ा पुरस्कार, जिसके अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार भी है ।

9. क्रीड़ा छात्रवृत्तियां ।

10. विदेशों के साथ खिलाड़ियों, युवा प्रतिनिधि मंडल, विशेषज्ञों और टीमों का आदान-प्रदान।

11. क्रीड़ा अवसंरचना जिसके अंतर्गत ऐसी अवसंरचना के सृजन और विकास के लिए वित्तीय सहायता भी है ।

12. कोच करने, टूर्नामेंट, उपस्कर आदि के लिए वित्तीय सहायता ।

13. संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित क्रीड़ा मामले ।

14. युवा कार्यक्रम ।

15. नेहरू युवक केन्द्र ।

16. राष्ट्रीय सेवा स्कीम ।

17. स्वयंसेवी युवा संगठन, जिसके अंतर्गत उनको दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी है ।

18. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवी स्कीम ।

19. राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक ।

20. युवा कल्याण कियाकलाप, युवा उत्सव, वर्क कैम्प,आदि ।

21. ब्वाय - स्काउट और गर्ल गाइड ।

22. युवा हास्टल ।

23. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ।

24. भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसंधान स्कीम का अवशिष्ट कार्य ।

25. विभाग द्वारा स्थापित ऐसे सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय और स्वशासी निकाय जो उपर्युक्त विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित है ।

26. शारीरिक शिक्षा ।';

(छ) 'खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय' शीर्ष और उपशीर्षों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

'उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

क. सार्वजनिक वितरण विभाग

1. खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेनों, संगमों और अन्य निकायों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय गेहूं परिषद, विश्व खाद्य परिषद्, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, खाद्य सुरक्षा संबंधी आयोग/समितियों में भाग लेना और उनमें लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ।

2. विदेशों से संधि और करार करना और खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को कार्यान्वित करना ।

3. खाद्यान्नों जिनमें शर्करा भी है, के भंडारण के लिए गोदामों को भाड़े पर लेना और अर्जित करना तथा खाद्यान्न गोदामों के निर्माण के लिए भूमि को पट्टे पर लेना या अर्जित करना ।

4. इस विभाग के अधीनस्थ और सम्बद्ध कार्यालयों से संबंधित मामले ।

5. भारतीय खाद्य नियम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम से संबंधित मामले ।

6. इस विभाग को आबंटित किसी विषय के संदर्भ में विधियों के विरुद्ध अपराध ।

7. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़ें।

8. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी की बाबत फीसें, उन फीसों के सिवाय जो न्यायालय में ली जाती हैं ।

9. सिविल आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और वितरण तथा सेना के लिए भी शर्करा, चावल और गेहूं का क्रय ।

10. खाद्यानों और अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

11. खाद्यानों का व्यापार और वाणिज्य, तथा पूर्ति और वितरण ।

12. खाद्यानों से भिन्न, खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य तथा उत्पादन, पूर्ति और वितरण ।

13. खाद्यानों और खाद्य पदार्थों का कीमत नियंत्रण ।

14. भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मामले ।

15. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

16. जहां तक कि खाद्यानों का संबंध है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) और चोर-बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7)

17. इस विभाग को आबंटित विषयों में से किसी के संबंध में विधियों के विरुद्ध अपराध ।

18. इस विभाग को आबंटित किसी भी विषय के प्रयोजन के लिए जांच और आंकड़े ।

ख. उपभोक्ता मामले विभाग

1. आंतरिक व्यापार ।

2. अंतर्राज्यिक व्यापार : स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955 (1955 का 39) ।

3. वायदा व्यापार का नियंत्रण : अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) ।

4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, कीमतें और वितरण, जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा विनिर्दिष्टत: व्यवहृत नहीं है)।

5. चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1980 का 7); उसके अधीन निरोध के अध्यधीन व्यक्ति ।

6. पैक की हुई वस्तुओं का विनियमन ।

7. विधिक माप विज्ञान में प्रशिक्षण ।

8. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1952 (1952 का 12)

9. बाट और माप मानक । बाट और माप-मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)

10. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) ।

11. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन जिसमें वायदा बाजार आयोग, मुम्बई भी है ।

12. उपभोक्ता सहकारी समितियां ।

13. आवश्यक वस्तुओं और उपलब्धता की कीमतों का परिवीक्षण ।

14. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) ।

ग. शर्करा और खाद्य तेल विभाग ।

1. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उनपर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध वनस्पति , तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा से है ।

2. वनस्पति, तिलहन, वनस्पति तेलों, खली और वसा की कीमतों का नियंत्रण और उनमें अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य और उनकी पूर्ति एवं वितरण ।

3. वनस्पति, वनस्पति तेल और वसा निदेशालय ।

4. वे उद्योग जिनके लिए संसद ने विधि के द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोक हित में समीचीन है, जहां तक उनका संबंध शर्करा उद्योग (जिसमें चीनी खांडसारी विकास भी है) से है ।

5. शर्करा के संबंध में अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य ।

6. शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली ।

7. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ।

8. राष्ट्रीय शर्करा और गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ ।

9. शर्करा उद्योग विकास परिषद्, नई दिल्ली से संबंधित मामले ।

10. अंतर्राष्ट्रीय शर्करा परिषद् ।

11. शर्करा विकास निधि ।

12. शर्करा का व्यापार और वाणिज्य और उत्पादन, पूर्ति तथा वितरण ।

13. शर्करा का मूल्य नियंत्रण ।'

(ज) 'विदेश मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, मानव अधिकार से संबंधित प्रविष्टि 44 एवं तद्धीन टिप्पण के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

'45. मुख्य आयुक्त (अनिवासी भारतीय) । '

(झ) 'खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय' शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ञ) 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय' शीर्ष और तद्धीन उपशीर्ष एवं प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और उपशीर्ष तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् –

'भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय'

क. भारी उद्योग विभाग

1. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि0, रांची ।

2. माइनिंग एंड ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि0, दुर्गापुर ।

3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि0 ।

4. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि0 ।

5. एच0एम0टी0 बियरिंग लि0 ।

6. एम0एम0टी0 लि0 ।

7. एम0एम0टी0 इंटरनेशनल लि0 ।

8. स्कूटर्स इंडिया लि0 ।

9. मारूति उद्योग लि0 ।

10. एन्ड्रयू यूल एंड कं0 लि0 ।

11. भारत ऑफथाल्मिक ग्लास लि0 ।

12. भारत लैदर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 ।

13. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 ।

14. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 ।

15. हिन्दुस्तान केबल्स लि0 ।

16. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0 ।

17. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं0 लि0 ।

18. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि0 ।

19. हुगली प्रिंटिंग कं0 लि0 ।

20 इंस्ट्रूमेंटेशन लि0 ।

21. मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लि0 ।

22. नागालैंड पल्प एंड पेपर कं0 लि0 ।

23. नेशनल बाइसिक्किल कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 ।

24. नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 ।

25. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि0 ।

26. एन0ई0पी0ए0 लिमिटेड ।

27. राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि0 ।

28. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि0 ।

29. दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि0 ।

30 टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लि0 ।

31. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।

32. प्राग टूल्स लिमिटेड ।

33. रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ।

34. सांभर साल्ट्स लि0 ।

35. फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट ।

36. भारत भारी उद्योग निगम लि0 ।

समनुषंगी :

(i) भारत ब्रेक्स एंड वाल्वज लिमिटेड ।

(ii) भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ।

(iii) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कं0 लि0 ।

(iv) ब्रेथवेट एंड कं0 लि0 ।

(v) बर्न स्टेंडर्ड कं0 लि0 ।

(vi) जेसप एंड कं0 लि0 ।

(vii) दि लैगन जूट मशीनरी कं0 लि0 ।

(viii) ब्रेथवेट , बर्न एंड जैसप कंस्ट्रक्शन लि0 ।

(ix) रेरोल बर्न लि0 ।

(x) वेबर्ड (इंडिया) लि0 ।

37. भारत यंत्र निगम लि0 ।

समनुषंगी :

(I) त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि0, इलाहाबाद ।

(ii) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस (इंडिया) लिमिटेड ।

(iii) भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लि0 ।

(iv) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लि0 ।

(v) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लि0 ।

(vi) ब्रिज एंड रूफ कंपनी ।

अन्य विषय

38. इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएं उन परियोजनाओं के सिवाय, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्ट रूप से आबंटित है।

39. सभी उद्योगों के लिए भारी इंजीनियरिंग उपस्कर का विनिमार्ण ।

40. भारी विद्युत इंजीनियरी उद्योग ।

41. मशीनरी उद्योग जिसके अंतर्गत मशीनी औजार और इस्पात विनिर्माण भी है ।

42. आटो उद्योग, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर और मिट्टी हटाने वाले उपस्कर भी हैं ।

43. सभी प्रकार के डीजल इंजन ।

ख. लोक उद्यम विभाग

1. लोक उद्यम ब्यूरो जिसके अंतर्गत औद्योगिक प्रबंध पूल भी है ।

2. सभी पब्लिक सेक्टर और वाणिज्यिक उपक्रमों को प्रभावित करने वाली गैर-वित्तीय प्रकृति के साधारण नीतिगत विषयों का समन्वय ।

3. विनिवेश आयोग ।

(ट) 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, उपशीर्ष और तद्धीन प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उपशीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्,

क. प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

1. पूर्व - प्राथमिक शिक्षा ।

2. प्रारंभिक शिक्षा ।

3. बुनियादी शिक्षा ।

4. बालभवन, बालचर संग्रहालय ।

5. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा ।

6. इस सूची में प्रविष्टियों के संदर्भ में श्रव्य एवं दृश्य शिक्षा ।

7. इस सूची में मदों के बावत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन -कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर)।

8. इस सूची में मदों के बाबत शैक्षिक अनुसंधान ।

9. इस सूची की मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और आंकड़े ।

10. इस सूची की मदों के संदर्भ में शिक्षकों को प्रशिक्षण ।

11. बहुभाषी शब्दकोषों सहित हिन्दी का विकास एवं प्रसार ।

12. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देना ।

13. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों से संबंधित पूर्त और पूर्त संस्थाएं, पूर्त व धार्मिक विन्यास ।

14. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

ख. माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग

1. माध्यमिक शिक्षा, और व्यावसायिक मार्गदर्शन ।

2. विश्वविद्यालय शिक्षा; केन्द्रीय विश्वविद्यालय; ग्रामीण उच्चतर शिक्षा; उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा की योजना और विकास से संबंधित विदेशी सहायता कार्यक्रम ।

3. उच्चतर विद्या (विश्वविद्यालय से भिन्न) की संस्थाएं ।

4. इस सूची में मदों के बावत पुस्तकें (उन पुस्तकों से भिन्न, जिनसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबंध है) और पुस्तक विकास (लेखन -कागज और अखबारी कागज उद्योग, जिससे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का संबंध है, को छोड़कर)।

5. इस सूची की मदों के संदर्भ में श्रव्य एवं दृश्य शिक्षा ।

6. प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना ।

7. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्याधिकार विषयक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ।

8. शैक्षिक अनुसंधान ।

9. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी ।

10. अध्यापक प्रशिक्षण ।

11. बहुभाषीय शब्दकोषों सहित हिन्दी का विकास और प्रसार ।

12. हिन्दी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देना ।

13. संस्कृत का प्रचार और विकास ।

14. विस्थापित अध्यापकों और विद्यार्थियों के पुनर्वास की तथा अन्य समस्याएं ।

15. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ।

16. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संघ (युनेस्को) और युनेस्को से सहयोगार्थ भारतीय राष्ट्रीय आयोग ।

17. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों में सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित मामले जिनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचना से निकाले गए , यायावर और अर्ध-यायावर जन-जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां तथा साधारण छात्रवृत्ति योजनाएं एवं विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और विभिन्न योजनाएं नहीं आती हैं ।

18. इस विभाग द्वारा व्यवहृत विषयों में दूसरे देशों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों सहित सभी छात्रवृत्तियां किन्तु इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अधिसूचना से निकाले गए, यायावर और अर्धयायावर जनजातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और साधारण छात्रवृत्ति स्कीम तथा विभिन्न स्कीमों के अधीन विदेशी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां नहीं आती हैं ।

19. विदेशस्थ भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण; विदेशस्थ भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेशस्थ शिक्षा संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी संगमों को वित्तीय सहायता ।

20. शैक्षिक विनियम कार्यक्रम; अध्यापकों; आचार्यों; शिक्षाविदों; वैज्ञानिकों; प्रौद्योगिकीविदों, आदि का विनियम, भारत और विदेशों के बीच विद्योपासकों के विनियम का कार्यक्रम।

21. विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को विदेशों में नियुक्ति स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करना ।

22. भारतीय संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

23. पूर्त और पूर्त-संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

24. विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाओं में उच्चतर गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान से भिन्न तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान ।

25. विज्ञान मंदिर ।

26. गणित, न्यूक्लीय विज्ञान और परमाणु ऊर्जा से भिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के बारे में साधारण नीति ।

27. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय ।

28. योजना और स्थापत्य स्कूल ।

29. प्रादेशिक मुद्रण स्कूल ।

30. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकारों की संस्थाओं, गैर – सरकारी संस्थाओं, संघ राज्य क्षेत्रों के वृत्तिक निकायों और तकनीकी संस्थाओं को सहायता अनुदान । बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान; शैक्षिक संस्थाओं में उच्चतर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शिक्षा के विकास और अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्यागिकी में मूल अनुसंधान के लिए सहायता अनुदान; मूल अनुसंधान के लिए व्यक्तियों को अनुदान ।

31. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ।

32. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र परीक्षाओं का संचालन् ।

33. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं ।

34. भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए वृत्तिक/तकनीकी अर्हताओं की मान्यता ।

35. राष्ट्रीय अनुसंधान आचार्य पद और अध्येतावृत्ति ।

36. भारत में वृत्तिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में विदेशी परीक्षा का आयोजन ।

37. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

38. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ।

39. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ।

40. भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद ।

41. भारतीय खान तथा अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान स्कूल, धनबाद ।

42. खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई और दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।

43. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर ।

44. टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई ।

45. भारत में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी गृह ।

46. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में किसी से संबंधित अन्य सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

47. आधुनिक भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजनाएं ।

ग. महिला और बाल विकास विभाग

1. परिवार कल्याण ।

2. महिला और बाल कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।

3. महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त संदर्भ ।

4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के शिशुओं की देखभाल ।

5. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय, प्राग्विद्यालय बालाकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा ।

6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

7. इस विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में स्वैच्छिक उद्यम का संवर्धन और विकास।

8. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित अन्य सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

9. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) का प्रशासन ।

10. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) ।

11. कोआपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर (सी0ए0आर0आई) के कियाकलापों का समन्वय ।

12. महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजना, अनुसंधान मूल्यांकन, मानिटर करना, परियोजना बनाना, आंकड़े और प्रशिक्षण ।

13. संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (यूनिसेफ) ।

14. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के0स0क0बो0) ।

15. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन0आई0पी0सी0सी0डी0) ।

16. खाद्य और पोषण बोर्ड ।

17. (i) समनुषंगी और संरक्षित खाद्य पदार्थों का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना।

(ii) पोषण का विस्तार ।';

(ठ) ' उद्योग मंत्रालय ' शीर्ष और उपशीर्ष तथा तद्धीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ड) 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय ' शीर्ष और तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् –

'सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतिगत मामले ।

2. ज्ञान - आधारित उद्यमों का संवर्धन ।

3. इलेक्ट्रानिकी का विकास और उसके विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के बीच समन्वय ।

4. इस मंत्रालय के नियंत्राणाधीन कार्मिकों से संबंधित सभी मामले ।

5. इलेक्ट्रानिकी संसाधन उपकरण (कम्प्यूटर) से संबंधित आवश्यकताओं का समन्वय।

6. सिलिकॉन सुविधा से संबंधित सभी मामले ।

7. कम्प्यूटर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी और प्रकमण संबंधी सभी मामले, जिनके अंतर्गत हार्डवेयर और साफ्टवेयर, प्रक्रियाओं का मानकीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों, जैसे आई0एफ0आई0पी0, आई0बी0आई0 और आई0सी0सी0 से सुसंगत मामले भी हैं ।

8. इंटरनेट का संवर्धन ।

9. ई-कामर्स का संवर्धन ।

10. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा का संवर्धन ।

11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ।

12. इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ।

(ढ) 'विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय ' शीर्ष और उपशीर्ष तथा तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष, उपशीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

'खान और खनिज मंत्रालय

क. कोयला विभाग

1. भारत में कोकिंग और नान-कोकिंग कोयले तथा लिग्नाइट के भंडारों का खोज और विकास ।

2. कोयले के उत्पादन, पूर्ति, वितरण और कीमतों से संबंधित सभी मामले ।

3. इस्पात विभाग जिनके लिए जिम्मेदार है उनसे भिन्न कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन ।

4. कोयले का निम्न ताप पर कार्बनीकरण और कोयले से संशलिष्ट तेल का उत्पादन।

5. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।

6. कोयला खान भविष्य निधि संगठन ।

7. कोयला खान कल्याण संगठन ।

8. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन ।

9 कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।

10 खानों से उत्पादित और प्रेषित कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए तथा बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अन्तर्गत नियम ।

11 कोयला-धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।

12. कोयले और लिग्नाइट से संबंधित पब्लिक सेक्टर के उद्यम ।

13. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम ,1957 (1957 का 67) तथा अन्य केन्द्रीय कानूनों का प्रशासन जहां तक कि उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयले और लिग्नाइट और भरणार्थ बालू से है, इस प्रकार के प्रशासन से आनुषंगिक कार्य जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं ।

ख. खान विभाग

1. (i) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर खानों के विनियमन और खनिजों के विकास के लिए विधायन, जिसके अंतर्गत राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, के भीतर समुद्र अधःशायी खानें और खनिज भी हैं।

(ii) कोयला, लिग्नाईट और भरणार्थ बालू तथा संघ के नियंत्राणाधीन विधि द्वारा यथाघोषित परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के प्रयोजन के लिए विहित पदार्थों के रूप में घोषित कोई खनिज से भिन्न खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में खनिजों के विनियमन और विकास से संबंधित प्रश्न और उससे संसक्त या उसके आनुषांगिक मामले भी हैं ।

2. सभी ऐसे अन्य धातु और खनिज, जो विनिर्दिष्टतया किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को आबंटित नहीं है जैसे अल्युमिनियम,जस्ता,तांबा, सोना,हीरा, सीसा और निकल ।

3. इस विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण तथा सहायता।

4. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ।

5. भारतीय खान ब्यूरो ।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित संभी अन्य संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

7. दि सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड ।

8. जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए है, उनके सिवाय इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अधीन आने वाले पब्लिक सैक्टर उद्यम और उपक्रम।

9. मैटलार्जिकल ग्रेड सिलिकोन ।

(ण) ''पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय' शीर्ष और तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और तत्संबंधी प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

'योजना मंत्रालय'

राष्ट्रीय आयोजना के विषयों के संबंध में संसद् के प्रति उत्तरदायित्व ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

1. देश में सांख्यिकी प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय (नोडल) अभिकरण के रूप में कार्य करना ।

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (एस एस बी) के सांख्यिकी या आंकडों की उपलब्धता की अतारतम्यता या उनकी पुनरावृत्ति का पता लगाने की दृष्टि से सांख्यिकीय कार्य में समन्वय करना तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना ।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकडों के, जिसमें संग्रहण, प्रसंस्करण की संरचना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार भी है, सन्नियमों तथा मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण ।

4. भारत सरकार के विभागों को सांख्यिकीय पद्धति और आंकडों के सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में सलाह देना ।

5. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय लेखा तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद,सरकारी और निजी अंतिम खपत व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजीगत स्टाक का प्राक्कलन और नियत पूंजी की खपत तथा उपरि क्षेत्रीय (सुपरा-रीजनल) सेक्टरों के राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण के भी राष्ट्रीय प्राक्कलन प्रकाशित करना तथा चालू कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक प्राक्कलन तैयार करना ।

6. तुरंत प्राक्कलन के रूप में प्रतिमास औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित करना और जारी करना; उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना ;और संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) सेक्टर की वृद्धि, संरचना और ढांचे में परिवर्तनों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराना ।

7. अखिल भारतीय कालिक आर्थिक संगणना का आयोजन और संचालन करना और नमूना सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

8. रोजगार, उपभोक्ता व्यय,आवासन परिस्थितियां और पर्यावरण, साक्षरता स्तर,स्वास्थ्य,पोषाहार,परिवार कल्याण, आदि जैसे विविध सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न जनसंख्या समूहों के फायदों के लिए विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव के अध्ययनार्थ आवश्यक डाटा बेस सृजित करने के लिए बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षणों का संचालन करना ।

9. सर्वेक्षण रिपोर्टों की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण साध्यता अध्ययनों/तकनीकी विश्लेषणात्मक अध्ययनों सहित,उपयुक्त नमूना अभिकल्प का मूल्यांकन करना ।

10. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से संग्रहित किए गए आंकड़ों पर आगामी कार्रवाई के लिए कार्यालय में ही सुविधा उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संचालित आर्थिक संगणना के सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना ।

11. सरकारी/अर्ध-सरकारी या निजी डाटा प्रयोगकर्ताओं/अभिकरणों को अनेक नियमित या तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना, और संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों जैसे यूनाइटेड नेशन्स स्कूल आर्गेनाईजेशन, एकोनामिक एण्ड सोशल कमीशन फार एशिया और दि पेशिफिक एण्ड इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाईजेशन, और अन्य सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को, उनके अनुरोध पर, डाटा प्रसारित करना ।

12. विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण, सांख्यिकीय रिपोर्टों का मुद्रण और शासकीय सांख्यिकीय के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित वित्त संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन करने के लिए प्रख्यात रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान देना ।

13. संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबंधन, जिसमें प्रशिक्षण, व्यवसाय आयोजन और जनशक्ति आयोजन से संबंधित सभी मामले हैं, के मुख्य पहलुओं की बाबत कार्य करना ।

14. भारतीय सांख्यिकी संस्थान और भारताय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम,1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार, उसके कृत्य सुनिश्चित करना ।

15. बीस सूत्री कार्यक्रम की मानीटरी करना ।

16. आधारभूत संरचना सेक्टरों के कार्य- निष्पादन की मानीटरी करना; और

17. बीस करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की मानीटरी करना।';

(त) 'योजना और कार्यक्रम मंत्रालय' शीर्ष और उपशीर्ष '(क) योजना विभाग और '(ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग' और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(थ) 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' शीर्ष के अंतर्गत,-

(द) 'क. ग्रामीण विकास विभाग' उपशीर्ष के अंतर्गत 3 से 5 तक की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ध) 'ख. भूमि संसाधन विभाग' उपशीर्षक और तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित उपशीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

ग. पेय जल पूर्ति विभाग

1. ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौपे गए जल योजना और समन्वय के संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल व्ययन, जल निकास और स्वच्छता ; इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

2. लोक सहकारिता, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी अभिकरणों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि से संबंधित सब विषय भी हैं ।

3. इस सूची की मदों से संबंधित सहकारी समितियां ।

4. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल आपूर्ति से संबंधित विषयों के संबंध में समन्वय ।';

(न) 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ' शीर्ष और उपशीर्षों तथा तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां अत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

'लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय'

1. लघु उद्योगों के विकास का समन्वय :

(i) लघु उद्योग बोर्ड ।
(ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ।
(iii) उन स्थानों में जहां पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों का भारी संकेन्द्रण है, नियोजन की व्यवस्था करने के लिए नए उद्योगों की स्थापना ।

2. ग्राम और कुटीर उद्योग ।

3. ग्रामीण औद्योगिकीकरण से संबंधित मामलों का समन्वय ।

4. कयर उद्योग ।

5. कयर बोर्ड ।

6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) जैसी विनिर्दिष्ट योजनाओं के अधीन रोजगार सृजित करने के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को बढ़ावा ।';

(प) 'इस्पात और खान मंत्रालय ' शीर्ष और उपशीर्ष तथा उनके अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

'इस्पात मंत्रालय

1. पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में इस्पात संयंत्र, रिरोलिंग उद्योग तथा लोह मिश्रित धातुएं, जिनके अन्तर्गत सभी तरह का भावी विकास भी है ।

2 पब्लिक सेक्टर में लोह अयस्क खानों का विकास ।

3 अन्य अयस्क खानों तथा कोयला प्रक्षालित्रों का विकास और इस्पात संयंत्रों के लिए खनिज का प्रसंस्करण ।

4 लोहा तथा इस्पात तथा लोहा मिश्रित धातुओं का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात और निर्यात।

5 सभी लोहा और इस्पात उद्योगों की योजना, विकास और नियंत्रण और उनकी सहायता '

6 इस्पात उद्योग में प्रयुक्त लोह अयस्क, मैगनीज अयस्क, चूना-पत्थर, सिलिमेनाइट, कायनाइट और अन्य खनिजों और मिश्रित धातुओं जिनके अन्तर्गत मैगनेसाइट और उच्चतापसह द्रव्य हैं किन्तु जिनके अन्तर्गत खनन पट्टे या उससे संबंधित पदार्थ नहीं हैं का उत्पादन, प्रदाय, मूल्यांकन और वितरण ।

7 स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड और उसकी समनुषंगी कंपनियां ।

8. निम्नलिखित उपक्रमों से संबंधित मामले, अर्थात् :-

(I) विश्वेश्वरया आयरन एंड स्टील लि० ।
(II) दि बोलानी ओर्स (इंडिया) लिमिटेड ।
(iii) दि मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड ।
(iv) दि मेटल्स स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन ।

9. इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत अन्य पब्लिक सेक्टर उद्यम या उपक्रम उनके सिवाय जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित किए गए हैं ।

10. इस सूची में विनिर्दिष्ट किए गए विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।';

(फ) 'जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ' शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

' जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

क. पोत परिवहन विभाग

I. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

2. दीपस्तम्भ और दीपपोत ।

3. भारतीय पत्तन अधिनियम,1908 (1908 का 15) और महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) और महापत्तन के रूप में घोषित पत्तनों का प्रशासन ।

4. पोतपरिवहन और नौपरिवहन जिसके अंतर्गत ऐसे अंतर्देशीय जल मार्गों पर यात्रियों और माल का वहन है , जो संसद द्वारा विधि द्वारा, यंत्रनोदित जलयानों के विषय में राष्ट्रीय जलपथ घोषित किए गए हैं , ऐसे जलमार्गों पर मार्ग-नियम ।

5. पोत-निर्माण और पोत-सुधार उद्योग ।

6. मत्स्य ग्रहण जलयान उद्योग ।

7. प्लवमान-यान उद्योग ।

II. संघ राज्य क्षेत्र की बाबत :

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात ।

III. अंडमान व निकोबार द्वीप तथा लक्ष्यद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में :

9. मुख्यभूमि द्वीपों और द्वीपों के बीच पोत परिवहन सेवा गठन और अनुरक्षण ।

IV. अन्य विषय जिन्हें पूर्ववर्ती भागों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है :

10. अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्रनोदित जलयान विषयक पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल के वहन के संबंध में विधायन ।

11. लघु और महापत्तनों के विकास के समन्वय और उससे संबंधित विधायन ।

12. डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) स्कीम, 1961 से भिन्न डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) तथा उसके अधीन बनाई गई स्कीम का प्रशासन ।

13. एफ ओ बी / एफएएस पर कार्गो के आयात तथा सी एंड एफ / सी आई एफ आधार पर निर्यात के संबंध में भारत सरकार / पब्लिक सेक्टर उपकमों / राज्य सरकारों / राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उपकमों तथा स्वशासी निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन का प्रबंध करना ।

14. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण विषयक नीति बनाना ।

V. अधीनस्थ कार्यालय :

15. पोत परिवहन महानिदेशालय ।

16. अंडमान लक्ष्यद्वीप बंदरगाह संकर्म ।

17. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय ।

18. लघु पत्तन सर्वेक्षण संगठन ।

VI स्वाशासी निकाय :

19. मुंबई , कलकत्ता, कोच्चि, कंडला, चेन्नई, मारमुगाव, जवाहर लाल नेहरू (न्हावा शेवा), पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखपततनम और न्यू मंगलोर स्थित पत्तन न्यास।

20. कलकत्ता, काण्डला, चेन्नई, मोरमुगाव और विशाखपट्टनम स्थित गोदी श्रम बोर्ड।

21. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ।

22. नाविक भविष्य निधि संगठन ।

VII सोसाइटियां / संगम :

23. राष्ट्रीय पत्तन प्रबंध संस्थान ।

24. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र ।

25. सीफेरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी ।

VIII पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

26. शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ।

27. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि0 ।

28. कोचीन शिपयार्ड लि0 ।

29. सेंट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि0।

30. ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया ।

31. हुगली डाक एंड पोर्टस इंजीनियर्स लि0 ।

IX. अंतर्राष्ट्रीय पहलू :

32. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ।

X. अधिनियम :

33. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) ।

34- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) ।

35- डाक कर्मकार(नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) ।

36- वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) ।

37. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ।

38. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) ।

39. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) ।

ख. सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग

I. निम्नलिखित विषय जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रथम सूची में आते हैं:

1. मोटर वाहनों का अनिवार्य बीमा ।

2. सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) का प्रशासन ।

3. संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए गए राजमार्ग।

II. संघ राज्य क्षेत्रों की बाबत :

4. राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न मार्ग ।

5. नगरपालिका सीमाओं अथवा किसी अन्य संलग्न जोन में उच्च द्रुतगामी ट्राम सहित ट्रामवेज ।

6. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) का प्रशासन और मोटर यानों का कराधान ।

7. यंत्रनोदित यानों से भिन्न यान ।

III. अन्य विषय जिन्हें पिछले भागों में शामिल नहीं किया गया है :

8. केन्द्रीय सड़क निधि ।

9. सड़क कार्यों से संबंधित समन्वय और अनुसंधान ।

10. केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: अथवा अंशत: वित्तपोषित संड़क संकर्म जिनके अंतर्गत संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 और 2 में विनिर्दिष्ट असम और मेघालय राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कें और सड़क संकर्म नहीं है ।

11. मोटर यान विधायन ।

12. मोटर परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में परिवहन सहकारिताओं का उन्नयन ।

13. गांधीधाम नगरी का विकास ।

14. सड़कों के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति का बनाया जाना ।

IV. स्वशासी निकाय :

15. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ।

V. सोसाइटियां / संगम :

16. राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान ।

VI. पब्लिक सेक्टर उपकम :

17. भारतीय सड़क निर्माण निगम ।

VII. अधिनियम :

18. सड़क परिवहन अधिनियम, 1950 (1950 का 64) ।

19. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) ।

20. मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) ।

21. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) ।

22. माल बहुविधि परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28) ।

(प) 'पर्यटन मंत्रालय' शीर्ष और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

'जनजातीय कार्य विभाग '

1. अनुसूचित जनजातियों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ।

2. जनजातीय कल्याण : जनजातीय कल्याण आयोजना, परियोजना निर्माण, अनुसंधान, मूल्यांकन, सांख्यिकी और प्रशिक्षण ।

3. जनजातीय कल्याण के बारे में स्वयंसेवी प्रयासों का संवर्धन और विकास ।

4. अनुसूचित जनजातियां, जिनमें ऐसी जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति शामिल है।

5. अनुसूचित जनजातियों का विकास ।

6. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से भी संबंधित संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

टिप्पण : अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति , योजना और समन्वय के लिए अनुसूचित जनजाति कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास स्कीमों के संबंध में नीति, योजना,मानीटरी, मूल्यांकन, आदि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की होगी । प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग अपने- अपने क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।

7. (I) अनुसूचित क्षेत्र ;

(ii) सड़कों और उन पर पुल संकर्मो और पारघाटों को छोड़कर, असम के स्वायत्तशासी जिलों से संबद्ध मामले; और

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के साथ संलग्न सारणी के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्यों के राज्यपालों द्वारा विरचित विनियम ।

8. (i) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के विषय में रिपोर्ट करने के लिए आयोग; तथा

(ii) किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक स्कीमों की संरचना और निष्पादन की बाबत निदेश जारी करना ।

9. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति आयोग की रिपोर्टें जहां तक उनका संबंध अनुसूचित जातियों से है ।

(भ) 'शहरी विकास मंत्रालय' शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि 1 से 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1. निम्नलिखित के सिवाय संघ की सम्पपत्तियां, चाहे वे भूमि हो अथवा भवन :

(i) वे जो रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के हों।

(ii) ऐसे भवन अथवा भूमि, जिनके निमार्ण अथवा अर्जन के लिए धनराशि सिविल निर्माण बजट से भिन्न किन्हीं अन्य साधनों से जुटाई गई हो, और

(iii) ऐसी भूमि अथवा भवन, जिसका नियंत्रण, उनके निर्माण अथवा अर्जन के समय अथवा बाद में, स्थायी रूप से दूसरे मंत्रालयों और विभागों को सौंप दिया गया हो ।

2. सब सरकारी सिविल संकर्म और भवन, जिनके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के संकर्म और भवन तो है, किन्तु सडकें और रेल मंत्रालय, डाक विभाग,दूरसंचार विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग द्वारा निष्पादित संकर्म या उनके भवन नहीं है ।

3. उद्यान कृषि संकियाएं ।

4. केन्द्रीय लोक निर्माण संगठन ।

5. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी होस्टलों सहित सरकारी सम्पदाओं का प्रशासन । महानगरों में कार्यालयों का अवस्थापन या वहां से उनका विसर्जन ।

6. विज्ञान भवन में जगह का आबंटन ।

7. स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30) का प्रशासन ।

8. दिल्ली होटल (वास-सुविधा-नियंत्रण) अधिनियम, 1949 (1949 का 24) का प्रशासन ।

9. लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) ।

10. चार पुनर्वास बाजारों, अर्थात् सरोजिनी नगर मार्केट, शंकर मार्केट, प्लेजर गार्डन मार्केट और कमला मार्केट का प्रशासन ।

11. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के अधीन दिल्ली और नई दिल्ली में सरकार निर्मित सम्पत्तियों की बाबत पट्टा या हस्तांतरण पत्र जारी करना और पट्टा विलेखों का संपरिवर्तन करना तथा ऐसी सम्पत्तियों से लगी हुई भूमि की अतिरिक्त पट्टियों और सुधारक क्षेत्रों का आबंटन ।

12. भारत सरकार के लिए लेखन सामग्री और मुद्रण, जिसके अंतर्गत शासकीय प्रकाशन भी हैं ।

13. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन मद 22 और 23 के अधीन रहते हुए सड़क पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना और समन्वय तथा रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड के अधीन मद 1 और 2के अधीन रहते हुए रेल पर आधारित प्रणाली की तकनीकी योजना ।

14. नगर और ग्राम योजना, महानगरीय क्षेत्रों के विकास और योजना से संबंधित मामले । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता ।

15. दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की स्कीम ।

16. दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

17. दिल्ली का मास्टर प्लान, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान तथा गन्दी बस्ती सफाई विषयक काम का समन्वय ।

18. स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारकों का परिनिर्माण ।

19. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) का प्रशासन ।

20. दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 (1958 का 59) ।

21. सरकारी बस्तियों का विकास ।

22. स्थानीय शासन, अर्थात् नगर निगमों का (जिनके अंतर्गत दिल्ली नगर निगम नहीं आता है), नगर पालिकाओं का (जिनके अंतर्गत नई दिल्ली नगर पालिका समिति नहीं आती है) और अन्य स्थानीय स्वायत्त प्रशासनों का, जिनके अंतर्गत पंचायती राज संस्थायें नहीं आती हैं, गठन और उनकी शक्तियां ।

23. दिल्ली नगर निगम का जल-प्रदाय और मल-व्ययन उपक्रम ।

24. शहरी क्षेत्रों से संबंधित (जल संसाधन मंत्रालय को सौंपे गए जल योजना और समन्वय के सम्पूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अधीन रहते हुए) जल प्रदाय, मल, जल-निकास तथा स्वच्छता और आबंटित जल संसाधनों से अनुबंध । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता ।

25. स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद ।

26. दिल्ली में सरकारी भूमि का आबंटन ।

27. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

28. इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के अंतर्गत आने वाली पब्लिक सेक्टर परियोजनाएं जिनके अंतर्गत ऐसी परियोजनाएं नहीं आती हैं जो विनिर्दिष्टत: किसी अन्य विभाग को आबंटित की गई हैं ।

29. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) ।

30. दिल्ली नागरी कला आयोग, दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 (1973 का 1) ।

31. राजघाट समाधि समिति का प्रशासन ।

32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना और विकास तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) के प्रशासन से संबंधित सभी विषय ।

33. भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास से संबंधित विषय ।

(म) 'शहरी विकास मंत्रालय' शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी , अर्थात् :-

' शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

1. आवास नीति और कार्यक्रम का तैयार करना (ग्रामीण आवास को छोड़कर, जिसे ग्रामीण विकास गरीबी उपशमन और ग्रामीण रोजगार विभाग को सौंपा गया है) योजना स्कीमों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन, आवास, निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण और प्रसारण, निर्माण लागत घटाने के लिए साधारण उपाय और राष्ट्रीय आवास नीति का केन्द्रीय उत्तरदायित्व ।

2. मानव बस्तियां जिसमें यूनाइटेड नेशन्स कमीशन फार ह्यूमन सेटलमेंट तथा आवासन और मानव-बस्ती के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता भी है ।

3. नगर विकास जिसके अंतर्गत गंदी बस्ती सफाई स्कीमें तथा झुग्गी झोंपडी हटाने की स्कीमें भी हैं । इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और तकनीकी सहायता।

4. राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ ।

5. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन के विशिष्ट कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जिसमें समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी है ।'

(य) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय' शीर्ष के अधीन ,-

(I) विद्यमान प्रविष्टि 23,24 और 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् :-

'23. अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्ग, जिसके अंतर्गत ऐसी जातियों और वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं ।

24. (I) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, पदत्याग, आदि,

(ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट जहां तक उनका संबंध इन जातियों से है ।

25. अनुसूचित जातियों का विकास ।

टिप्पण : अनुसूचित जातियों के विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति , योजना और समन्वय के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय होगा । इन समुदायों के विकास के क्षेत्रीय कार्यक्रमों और विकास स्कीमों के संबंध में नीति, योजना,मानीटरी मूल्यांकन, इत्यादि एवं उनके समन्वय की भी जिम्मेदारी संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की रहेगी । प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय / विभाग अपने- अपने क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय अथवा विभाग होगा ।

(II) प्रविष्टि 27 और 28 का लोप किया जाएगा ।' ।

(क क) 'इलेक्ट्रानिकी विभाग' शीर्ष और तद्धीन प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख ख) 'योजना आयोग' शीर्ष के अधीन, प्रविष्टि '10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र' का लोप किया जाएगा ।'।

के० आर० नारायणन
राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/99-मंत्रि.]
वी० के० गाबा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1999

S.O. 1036(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and Forty - third Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the First Schedule,-

(a) under the heading "1. Ministry of Agriculture (Krishi Mantralaya)", after sub-heading "(iii) Department of Animal Husbandry and Dairying (Pashupalan aur Dairy Vibhag), the following sub-heading shall be added, namely:-

"(iv) Department of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Vibhag)";

(b) the heading "4.Ministry of Coal (Koyala Mantralaya)" shall be omitted;

(c) for the heading "5. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"5. Ministry of Commerce and Industry (Vanijya aur Udyog Mantralaya)

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag)

(ii) Department of Industrial Development (Audyogik Vikas Vibhag)

(iii) Department of Industrial Policy and Promotion (Audyogik Niti aur Samvardhan Vibhag)

(iv) Department of Supply (Poorti Vibhag).";

(d) under the heading "6. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)", after the sub-heading "Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag)", the following sub-headings shall be added, namely:-

"(ii) Department of Posts (Dak Vibhag)";

(iii) Department of Telecom Services (Door sanchar Seva Vibhag).";

(e) after the heading "6. Ministry of Communications (Sanchar Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be inserted, namely:-

"6A. Ministry of Culture, Youth Affairs and Sports (Sanskriti, Yuvak Karyakram aur Khel Mantralaya)

(i) Department of Culture (Sanskriti Vibhag).

(ii) Department of Youth Affairs and Sports (Yuvak Karyakram aur Khel Vibhag);

(f) for the heading "11. Ministry of Food and Consumer Affairs (Khadya aur Upbhokta Mamle Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"11. Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution (Upbhokta Mamle aur Sarvajanik Vitaran Mantralaya)

(i) Department of Public Distribution (Sarvajanik Vitaran Vibhag).

(ii) Department of Consumer Affairs (Upbhokta Mamle Vibhag).

(iii) Department of Sugar and Edible Oils (Sarkara aur Khadya Tel Vibhag);

(g) the heading "12. Ministry of Food Processing Industries (Khadya Prasanskaran Udyog Mantralaya)" shall be omitted;

(h) after the heading "13. Ministry of Health and Family Welfare (Swasthya aur Parivar Kalyan Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading and sub-headings shall be added, namely:-

"13A. Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Bhari Udyog aur Lok Udyam Mantralaya)

(i) Department of Heavy Industry (Bhari Udyog Vibhag).

(ii) Department of Public Enterprises (Lok Udyam Vibhag).

(i) under the heading "15. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)", for the sub-headings thereunder, the following sub-headings shall be substituted, namely:-

"(i) Department of Elementary Education and Literacy (Prarambhik Shiksha aur Saksharta Vibhag).

(ii) Department of Secondary Education and Higher Education (Madhyamik Shiksha aur Uchchatar Shiksha Vibhag).

(iii) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag)";

(j) the heading "16. Ministry of Industry (Udyog Mantralaya)" and the sub-headings thereunder shall be omitted;

(k) after the heading "17. Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasarn Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"17A. Ministry of Information Technology (Soochana Praudhikiki Mantralaya)";

(l) after the heading "19.Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Vidhi, Nyaya aur Kampany Karya Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading shall be insterted, namely:-

"20. Ministry of Mines and Minerals (Khan aur Khanij Mantralaya)

(i) Department of Coal (Koyala Vibhag)

(ii) Department of Mines (Khan Vibhag)";

(m) for the heading "25. Ministry of Planning and Programme Implementation (Yojana aur Karyakram Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following heading shall be substituted, namely:-

"25. Ministry of Planning (Yojana Mantralaya).

(n) under the heading "28. Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya), after the sub-heading "(ii) Department of Land Resources (Bhoomi Sansadhan Vibhag)", the following sub-heading shall be added, namely:-

"(iii) Department of Drinking Water Supply (Peya Jal Poorti Vibhag)";

(o) after heading "29.Ministry of Science and Technology (Vigyan aur Praudyogiki Mantralaya)" and the sub-headings thereunder, the following headings shall be inserted, namely:-

"29A.Ministry of Small Scale Industries and Agro and Rural Industries (Laghu Udyog aur Krishi Evam Gramin Udyog Mantralaya)

29B. Ministry of Statistics and Programme Implementation (Sankhyiki aur Karyakram Karyanayan Mantralaya)";

(p) for the heading "30. Ministry of Steel and Mines (Ispat aur Khan Mantralaya)" and the sub-headings thereunder the following heading shall be substituted, namely:-

"30. Ministry of Steel (Ispat Mantralaya)";

(q) under the heading "31. Ministry of Surface Transport (Jal Bhootal Parivahan Mantralaya)", the following sub-headings shall be inserted, namely:-

"(i) Department of Shipping (Pot Parivahan Vibhag).

(ii) Department of Road Transport and Highways (Sarak Parivahan aur Raj Marg Vibhag)"

(r) after the heading "32A. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"32B.Ministry of Tribal Affairs (Janjati Karya Mantralaya)

(s) after the heading "33. Ministry of Urban Development (Shahari Vikas Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"33A.Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar aur Garibi Upshaman Mantralalya);

(t) the heading "37. Department of Electronics (Electroniki Vibhag)" shall be omitted".

(2) in the Second Schedule,-

(a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", after the sub-heading "C. DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (PASHUPALAN AUR DAIRY VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries relating thereto shall be added, namely:-

"D. DEPARTMENT OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG VIBHAG)

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to -

(a) processing and refrigeration of certain agricultural products (milk powder, infant-milk food, Malted milk food, Condensed milk, Ghee and other dairy products), Poultry and eggs, Meat and Meat products;

(b) processing of fish (including canning and freezing);

(c) establishment and servicing of Development Council for fish processing industry;

(d) technical assistance and advice to fish processing industry;

(e) fruit and vegetable processing industry (including freezing and dehydration); and

(f) foodgrains milling industry.

2. Planning, development and control of, and assistance to, industries relating to bread, oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery; (including Cocoa processing and Chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and extruded food products (including other ready-to-eat foods).

3. Specialised packaging for food processing industry.

4. Beer including non-alcoholic beer.

5. Alcoholic drinks from non-molasses base.

6. Aerated water and soft drinks.

7. Modern Food Industries (India) Ltd.

8. North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.";

(b) the heading "MINISTRY OF COAL (KOYALA MANTRALAYA)" and entries thereunder shall be omitted;

(c) for the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)", and the sub-headings and the entries relating thereto, the following heading, sub-headings and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

"MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)

I. GENERAL INTERNATIONAL TRADE POLICY

1. International Commercial Policy.

2. International Agencies connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ESCAP, ECA, ECLA, EEC, EFTA, GATT).

3. International Commodity Agreements other than agreements relating to wheat.

4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

II. FOREIGN TRADE

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreement on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade co-operation and promotion and protection of interests of Indian traders abroad.

6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to-

(i) import of features films;
(ii) export of Indian films- both feature length and shorts; and
(iii) import and distribution of cine-film (unexposed) and other goods required by the film industry.

7. Chief Controller of Imports and Exports.

III. STATE TRADING

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including-

(i) State Trading Corporation and its subsidiaries excluding Handicrafts and Handlooms Export Corporation and Central Cottage Industries Corporation.

(ii) Minerals and Metals Trading Corporation and its subsidiaries.

IV. TRADING WITH THE ENEMY : ENEMY PROPERTY

9. Trading with the enemy; enemy firms and enemy property reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading; Controller of Enemy firms; Custodian of Enemy Property for India.

10. International Customs Tariff Bureau including residuary work relating to Tariff Commission.

11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufacturers and semi-manufacturers including the following:-

(a) Agricultural produce within the meaning of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937).

(b) Marine products;

(c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);

(d) fuels, minerals and mineral products;

(e) specific export oriented products (including plantation crops, etc. but excluding jute products and handicrafts which are directly the charge of this Department).

12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including:

(a) Export Credit and Guarantee Corporation.

(b) Export Inspection Council.

(c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.

(d) India Trade Promotion Organisation.

(e) Free Trade-Zones.

13. Nodal responsibility in relation to assistance in establishing various industries in foreign countries.

14. Projects and programmes for stimulating and assisting the export efforts.

15. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of Plantation, crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.

16. Processing and distribution for domestic consumption and exports of Instant Tea and Instant Coffee.

17. (i) Tea Trading Corporation of India.

(ii) Tea Board.

(iii) Coffee Board.

(iv) Rubber Board.

(v) Cardamom Board.

(vi) Tobacco Board.

B. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)

I. INDUSTRIAL POLICY

1. Industrial Management.

2. Productivity in industry.

II. INDUSTRIAL CO-OPERATION

3. Co-operation in the Industrial sector, excepting Co-operative Sugar Factories.

4. Administration of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) and the regulations made thereunder; Central Boilers Board.

5. Explosives-Administration of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), and the rules made thereunder, but not the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908).

6. The Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952).

III. INDUSTRIES AND INDUSTRIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT.

7. Automotive Research Association, Poona.

8. National Council for Cement and Building Materials.

9. Indian Rubber Manufacturers' Research Association, Bombay.

IV. PATENTS AND DESIGNS, etc.

10. Standardisation of international products and raw materials.

11. The Designs Act, 1911 (2 of 1911).

12. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958).

13. The Patents Act, 1970 (39 of 1970).

V. MATERIALS PLANNING.

14. Coordinated assessment of demands for raw materials by sectors, industries and large-units in relation to particular groups of products and to available capacities.

15. Assessment of domestic availability of raw materials with due regard to the feasibility of import substitution.

16. Assessment of requirements of imports of raw materials, with due allowance for inventories.

17. Determination of principles, priorities and procedures for allocation of raw materials.

18. All other matters connected with materials Planning.

VI. OTHER SUBJECTS.

19. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

C. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION (AUDYOGIK NITI AUR SAMVARDHAN VIBHAG)

I. INDUSTRIAL POLICY.

1. General Industrial Policy.

2. Administration of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

II. INDUSTRIES AND INDUSTRIAL AND TECHNICAL DEVELOPMENT

3. Planning, development and control of and assistance to, all industries other than those dealt with by any other Department.

4. Issue of licences for establishment of industries for production of civil aircraft to be made in consultation with the Ministry of Civil Aviation and Department of Defence Production and Supplies.

5. Cables.

6. Light Engineering Industries (e.g. Sewing machines, typewriters, weighing machines, bicycles, etc.).

7. Light industries (e.g.Plywood, stationary, matches, cigarettes, etc.).

8. Light Electrical Engineering Industries.

9. Raw films.

10. Hard Board.

11. Paper and newsprint.

12. Tyres and Tubes.

13. Salt.

14. Cement.

15. Technical Development including Bureau of Industrial Costs and Prices and United Nations Industrial Development Organistion.

16. Soaps and Detergents.

17. Foreign Investment Promotion Board (FIPB).

18. Direct foreign and non-resident Indian investment in industrial and service projects.

D. DEPARTMENT OF SUPPLY (POORTI VIBHAG)

1. Purchase and inspection of stores for Central Government Ministries/Departments including their attached and subordinate offices and Union Territories, other than the items of purchase and inspection of stores which are delegated to other authorities by general or special order.

2. Purchase and inspection of stores on behalf of those State Governments, Public Undertakings, autonomous bodies, quasi-public bodies, etc. which desire to avail of the services of this Department.

3. To arrange payment for supplies made against contracts placed by the Department (DGS&D) on behalf of the authorities referred to in entries 1 and 2 above.

4. To arrange clearance of stores imported against orders placed by the Department and also orders placed by the other Central Government Departments, State Governments, autonomous bodies etc. if called upon to do so.

5. To arrange shipment of stores against contracts placed by the Department wherever necessary or where such work is entrusted to the Department by other authorities.

6. Disposal of surplus stores other than those for which powers have been delegated to various authorities by general or special order.

7. Testing and evaluation of materials, products, equipments and systems; research and development in testing technology and related areas; and calibration in the level of Echelon II and maintenance of test data, etc.

8. Cadre Management of Indian Supply Service and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said Service.

9. Cadre Management of Indian Inspection Services and all matters pertaining to training, career planning and manpower planning for the said Service.

10. Administration of -

(a) Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.

(b) Office of the Chief Controller of Accounts, New Delhi.

(c) National Test House, Alipore, Calcutta.";

(d) under the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)", for the sub-headings and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOOR SANCHAR VIBHAG)

1. Implementation of treaties and agreements with other countries relating to matters dealt with in the Department of Telecommunications.

2. Policy matters relating to telegraphs, telephones, wireless, data, facsimile and telematic services and other like forms of communications

3. International relations in matters connected with telecommunications, including matters relating to all international bodies dealing with telecommunications such as, International Telecommunication Union (ITU), International Frequency Regulation Board (IFRB), Consultative Committee on International Telegraph and Telephones (CCITT), Consultative Committee on International Radio (CCIR), International Telecommunication Sattellite Organisation (INTELSAT), International Maritime Sattellite Organisation (INMARSAT), Asia Pacific Telecommunication (ATP).

4. Promotion of research and development in telecommunications.

5. Administration of laws with respect to any of the matters in this list, namely:-

(i) The Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(ii) The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933); and

(iii) The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997).

6. All matters relating to personnel under the control of the Department of Telecommunications.

7. Financial assistance for the furtherance of research and study in telecommunications technology and for building up adequately trained manpower for telecom programme, including-

(i) assistance to institutions, assistance to scientific institutions and to universities for advanced scientific study and research; and

(ii) grant of scholarships to students in educational institutions and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of telecommunications.

8. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecommunications.

9. Financial sanctions relating to the Department of Telecommunications.

10. Telecom Regulatory Authority of India.

11. Administration of laws with respect to any of the matters specified in this list, namely:-

(i) The Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

(ii) The Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933); and

(iii) The Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997).

12. Enquiries and statistics for purpose of any of the matters specified in this list.

13. Fees in respect of any of the matters in this list, but not including fees taken in any court.

14. Telecom Commission.

B. DEPARTMENT OF POSTS (DAK VIBHAG)

1. Implementation of treaties and agreements relating to matters dealt within the Department of Posts with other countries.

2. Execution of works and purchase of land debitable to the Capital Budget pertaining to the Department of Posts.

3. Posts, including Post Office Savings Bank (Administration), Post Office Certificates (Administration) and Post Office Life Insurance Fund (Administration).

4. Offences against laws with respect to any of the matters specified in this list.

5. Inquiries and statistics for the purposes of any of the matters specified in this list.

6. Fees in respect of any of the matters specified in this list but not including fees taken in any court.

C. DEPARTMENT OF TELECOM SERVICES (DOOR SANCHAR SEVA VIBHAG).

1. Execution of works including purchase and acquisition of land debitable to the capital budget pertaining to telecommunications.

2. All matters other than policy matters relating to telegraphs, telephones, wireless, data, facsimile and telematic services and other like forms of communications.

3. Indian Telephone Industries Limited, Hindustan Teleprinters Limited, Mahanagar Telephone Nigam Limited, Videsh Sanchar Nigam Limited and Telecommunications Consultants (India) Limited.

4. All matters relating to personnel under the control of the Department of Telecom Services.

5. All matters relating to Centre for Development of Telematics (C-DOT).

6. Procurement of stores and equipment required by the Department of Telecom Services.

7. Financial sanctions relating to the Department of Telecom Services.

8. Enquiries and statistics for purpose of any of the matters specified in this list.

9. Fees in respect of any of the matters specified in this list, but not including fees taken in any court";

(e) after the heading "MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)" and sub-headings and entries thereunder, the following heading and sub-heading and entries relating thereto shall be added, namely :-

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SANSKRITI, YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)

1. National Library; the Indian Museum; the Indian War Memorial Museum; the Victoria Memorial, the Asiatic Society, Calcutta and the India War Memorial and all other like institutions financed by the Government of India wholly or in part and declared by Parliament by law to be institutions of national importance.

2. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.

3. Archaeology, Archaeological Museums.

4. The Ancient Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904).

5. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

6. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

7. History of Freedom Movement.

8. Jallianwala Bagh National Memorial Trust.

9. Administration of Gandhi Smriti and Gandhi Darshan.

10. The delivery of Books (Public Libraries) Act and the Press and Registration of Books Act (in so far as supply of books and catalogues to the Central Government is concerned).

11. Promotion of fine arts.

12. Sahitya, Lalit Kala and Sangeet Natak Academies.

13. The Central Secretariat Library; Central Reference Library, Calcutta; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi

public Library; India Office Library; National Museum, New Delhi; Salar Jung Museum and Library, Hyderabad; Khudabux Oriental Public Library; Nehru Memorial Museum and Library; Gandhi Darshan Samiti; National Gallery of Portraits, National School of Drama, New Delhi; Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calcutta; Allahabad Museum, Allahabad; General Development of Museums.

14. Museum of Gems and Jewellery.

15. National Gallery of Modern Art, New Delhi.

16. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

17. Treasure Trove; the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972) and Export of antiquities.

18. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

19. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana aur Prasaran Mantralaya).

20. Charities and Charitable institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

21. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

22. Publication of rare manuscripts.

23. Grants to all-India Cultural Institutions.

24. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.

25. Cultural agreements and friendship treaties with foreign countries.

26. Distribution of gift books received from abroad.

27. Appointment of Cultural Attaches abroad.

28. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

29. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.

30. Presentation of books to foreign countries.

31. Establishment of libraries abroad.

32. Translation of Indian classics into foreign languages.

33. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

34. Presentation of Indian art objects abroad.

35. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

36. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.

37. Revision of Gazetters.

38. Observance of Centenaries and anniversaries of important personalities.

39. Publication information and statistics relating to subjects dealt with by this Department.

40. International Congress of Orientalists.

41. Anthropological Survey of India.

42. National Archives of India.

43. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.

44. National Council of Science Museums, Calcutta.

45. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

46. Rabindra Rangshalla.

47. Zonal Cultural Centres.

48. National Council of Culture.

49. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA).

50. National Theatre.

B. DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (YUVAK KARYAKRAM AUR KHEL VIBHAG)

1. Sports Policy.

2. Sports and Games.

3. National Welfare Fund for Sportsmen.

4. Netaji Subhas National Institute of Sports.

5. Sports Authority of India.

6. Matters relating to the Indian Olympic Association and national sports federations.

7. Participation of Indian sports teams in tournaments abroad and participation of foreign sports teams in international tournaments in India.

8. National Sports Awards, including Arjuna Awards.

9. Sports Scholarships.

10. Exchange of Sports persons, Youth delegation, experts and teams with foreign countries.

11. Sports infrastructure, including financial assistance for creation and development of such infrastructure.

12. Financial assistance for coaching, tournaments, equipment, etc.

13. Sports matters relating to Union Territories.

14. Youth Affairs.

15. Nehru Yuvak Kendras.

16. National Service Scheme.

17. Voluntary Youth Organisations, including financial assistance to them.

18. National Service Volunteer Scheme.

19. Commonwealth Youth Progamme and United Nations Volunteers.

20. Youth welfare activities, youth festivals, work camp, etc.

21. Boy-scouts and girl-guides.

22. Youth Hostels.

23. National Youth Awards.

24. Residual work of the erstwhile National Discipline Scheme.

25. All attached or subordinate offices and autonomous bodies set up by the Department concerning any of the subjects specified above.

26. Physical Education."

(g) for the heading "MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (KHADYA AUR UPBHOKTA MAMLE MANTRALAYA)" and the sub-headings and the entries relating thereto, the following heading, sub-headings and the entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF PUBLIC DISTRIBUTION
(SARVAJANIK VITRAN VIBHAG)

1. Participation in international conferences, Associations and other bodies concerning food, i.e. International Wheat Council, World Food Council, International Food Policy Research Institute, Commission/Committees on Food Security and implementation of decisions made thereat.

2. Entering into treaties and agreements with foreign countries and implementing treaties, agreements, conventions with foreign countries relating to trade and commerce in foodgrains and other foodstuffs.

3. Hiring and acquisition of godowns for storage of foodgrains including sugar, taking on lease or acquiring land for construction of foodgrains godowns.

4. Matters relating to subordinate and attached offices under this Department.

5. Matters relating to the Food Corporation of India and the Central Warehousing Corporation.

6. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

7. Enquiries and statistics for the purpose of any of the subjects allotted to this Department.

8. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Department except fees taken in a court.

9. Purchase of foodstuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat.

10. Inter-State trade and commerce in respect of foodgrains and other foodstuffs.

11. Trade and commerce in, and supply and distribution of foodgrains.

12. Trade and commerce in, and the production, supply and distribution of foodstuffs other than foodgrains.

13. Price control of foodgrains and foodstuffs.

14. Matters relating to the Food Corporation of India.

15. Public Distribution System.

16. Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and the Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 (7 of 1980), in so far as foodgrains are concerned.

17. Offences against laws with respect to any of the subjects allotted to this Department.

18. Enquiries and Statistics for the purpose of any subject allotted to this Department.

B. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS
(UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)

1. Internal Trade.

2. Inter-State Trade : the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955 (39 of 1955).

3. Control of Future Trading : the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).

4. The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) (Supply, Price and Distribution of Essential Commodities not dealt with specifically by any other Ministry/Department).

5. Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities, 1980 (7 of 1980); persons subjected to detention thereunder.

6. Regulation of Packaged Commodities.

7. Training in Legal Meterology.

8. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1952 (12 of 1952).

9. Standards of Weights and Measures; The Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976).

10. The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986).

11. All attached or subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

12. Consumer Cooperatives.

13. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

14. The Consumer Protection Act,1986 (68 of 1986).

C. DEPARTMENT OF SUGAR AND EDIBLE OILS
(SARKARA AUR KHADYA TEL VIBHAG)

1. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

2. Price Control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oilseeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

3. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.

4. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliame by law to be expedient in public interest, as far as these relates Sugar Industry (including development of Sugar Khandsari).

5. Inter-state Trade and Commerce in respect of Sugar.

6. Directorate of Sugar, New Delhi.

7. National Sugar Institute, Kanpur.

8. National Institute of Sugar and Sugarcane Technology, Mau.

9. Matters relating to the Development Council of Sugar Industry, New Delhi.

10. International Sugar Council.

11. Sugar Development Fund.

12. Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of sugar.

13. Price Control of Sugar.";

(h) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", after entry 44 relating to Human Rights and the Note thereunder, the following entry shall be added, namely:-

"45. Chief Commissioner (Non-resident Indians).";

(i) the heading "MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSKARAN UDYOG MANTRALAYA)" and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) after the heading "MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SWASTHYA AUR PARIVAR KALYAN MANTRALAYA)" and the sub-headings and the entries thereunder, the following heading and sub-headings and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (BHARI UDYOG AUR LOK UDYAM MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY (BHARI UDYOG VIBHAG)

1. The Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi.

2. The Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur.

3. The Engineering Projects (India) Limited.

4. Bharat Heavy Electricals Limited.

5. H.M.T. Bearing Limited.

6. H.M.T. Limited.

7. H.M.T. International Limited.

8. Scooters India Limited.

9. Maruti Udyog Limited.

10. Andrew Yule and Co. Limited.

11. Bharat Opthalmic Glass Limited.

12. Bharat Leather Corporation.

13. Cement Corporation of India Limited.

14. Cycle Corporation of India Limited.

15. Hindustan Cables Limited.

16. Hindustan Paper Corporation Limited.

17. Hindustan Photo Films Manufacturing Co. Limited.

18. Hindustan Salts Limited.

19. Hooghly Printing Co. Limited.

20. Instrumentation Limited.

21. The Mandya National Paper Mills Limited.

22. Nagaland Pulp and Paper Co. Limited.

23. National Bicycle Corporation of India Limited.

24. The National Industrial Development Corporation Limited.

25. National Instruments Limited.

26. N.E.P.A. Limited.

27. Rajasthan Electronics and Instruments Limited.

28. Hindustan Newsprint Limited.

29. Damodar Cement and Slag Limited.

30. Tannery and Footwear Corporation of India Limited.

31. Tyre Corporation of India.

32. Praga Tools Limited.

33. Rehabilitation Industries Corporation.

34. Sambhar Salts Limited.

35. Fluid Control Research Institute.

36. Bharat Bhari Udyog Nigam Limited:

SUBSIDIARIES

(i) Bharat Brakes and Valves Limited.

(ii) Bharat Process and Mechanical Engineers Limited.

(iii) Bharat Wagon and Engineering Co. Limited.

(iv) Braithwaite and Co. Limited.

(v) Burn Standard Co. Limited.

(vi) Jessop and Co. Limited.

(vii) The Lagan Jute Machinery Co. Limited.

(viii) Braithwaite, Burn and Jessop Construction Limited.

(ix) Reyrolle Burn Limited.

(x) Weighbird (India) Limited.

37. Bharat Yantra Nigam Limited.

SUBSIDIARIES

(i) The Triveni Structurals Limited, Allahabad.

(ii) The Tungabhadra Steel Products (India) Limited, Durgapur.

(iii) The Bharat Heavy Plates and Vessels Limited.

(iv) Bharat Pumps and Compressors Limited.

(v) Richardson and Cruddas (1972) Limited.

(vi) Bridge and Roof Company.

OTHER SUBJECTS

38. Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department.

39. Manufacture of heavy engineering equipment for all industries.

40. Heavy electrical engineering industries.

41. Machinery Industries including Machine Tools and Steel Manufactures.

42. Auto Industries, including tractors and earth moving equipment.

43. All types of diesel engines.

B. DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES (LOK UDYAM VIBHAG)

1. Bureau of Public Enterprises including Industrial Management Pool.

2. Coordination of matters of general policy of non-financial nature affecting all public sector industrial and commercial undertakings.

3. Disinvestment Commission.

(k) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", for the sub-headings and the entries thereunder, the following sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

A. DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION AND LITERACY (PRARAMBHIK SHIKSHA AUR SAKSHARTA VIBHAG)

1. Pre-Primary Education.

2. Elementary Education.

3. Basic Education.

4. Bal Bhavan, Children's Museum.

5. Social Education and adult education.

6. Audio Visual Education with reference to entries in this list.

7. Books [other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana Aur Prasaran Mantralaya) is concerned] and Book Development [excluding stationery paper and news print industries with which the Ministry of Commerce and Industry (Vanijya aur Udyog Mantralaya) is concerned] with respect to the items in the list.

8. Educational Research with respect to items in the list.

9. Publications, information and statistics with reference to the items in the list.

10. Teachers training with reference to the items in the list.

11. Development and propagation of Hindi, including multi-lingual dictionaries.

12. Grant of financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.

13. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

14. All attached and subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION AND HIGHER EDUCATION (MADHYMIK SIKSHA AUR UCHCHATAR MADHYMIK VIBHAG)

1. Secondary Education and Vocational Guidance.

2. University education; Central Universities; Rural Higher Education Foreign Aid Programme relating to Higher Education, Technical Education Planning and Development of School Education.

3. Institutions of higher learning (other than Universities).

4. Books [other than the books with which the Ministry of Information and Broadcasting (Soochana Aur Prasaran Mantralaya) is concerned] and Book Development [excluding stationery paper and news print industries with which the Ministry of Commerce and Industry (Vanijya aur Udyog Mantralaya) is concerned] with respect to the items in the list.

5. Audio Visual Education with reference to the items in the list.

6. Production of University level text-books in Regional Languages.

7. The Copyright Act, 1957 (14 of 1957) and International Conventions on Copyrights.

8. Educational research.

9. Publications, information and statistics.

10. Teacher's training.

11. Development and propagation of Hindi, including multi-lingual dictionaries.

12. Grant of Financial assistance for the teaching and promotion of Hindi.

13. Propagation and development of Sanskrit.

14. Rehabilitation and other problems relating to displaced teachers and students.

15. Central Advisory Board of Education.

16. UNESCO and Indian National Commission for Cooperation with UNESCO.

17. Matters relating to all scholarships in subjects dealt with by this Department but excluding scholarships to students belonging to scheduled castes and scheduled tribes, denotified, nomadic and semi-nomadic tribes and General Scholarships Schemes and scholarships to foreign students and different schèmes.

18. All scholarships including those offered by foreign countries and foreign agencies in subjects dealt with by this Department but excluding scholarships to students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, denotified, nomadic and semi-nodamic tribes and General Scholarships Scheme and scholarships to foreign students under different schemes.

19. Education and Welfare of Indian Students overseas; Education Departments of Indian Missions overseas; Financial assistance to education institutions and Indian Students' Associations abroad.

20. Educational Exchange Programmes; exchange of teachers, professors, educationists, scientists, technologists, etc.; programme of exchange of scholars between India and foreign countries.

21. Grant of permission to teachers of Universities, colleges and institutions of higher learning to accept assignments abroad.

22. Admission of foreign students in Indian Institutions.

23. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

24. Adhoc scientific research, other than research in higher mathematics, nuclear science and atomic energy, in universities and educational institutions.

25. Vigyan Mandirs.

26. General Policy regarding partial financial assistance to Scientists going abroad for studies in fields other than mathematics, nuclear science and atomic energy.

27. Expansion, Development and Coordination of Technical Education.

28. School of Planning and Architecture.

29. Regional Schools of Printing.

30. Grants-in-aid to State Government institutions, non-Government institutions, professional bodies and technical institutions of Union Territories for technical education. Grants-in-aid for post graduate studies in basic sciences, grants-in-aid for development of higher scientific and technological education and research in educational institutions; Grants-in-aid for fundamental research in science and technology; grants to individuals for fundamental research.

31. All India Council for Technical Education.

32. Conduct of National Diploma and National Certificate Examinations of the All India Council for Technical Education.

33. Practical training facilities for students of engineering and technological institutions.

34. Recognition of professional technical qualification for purposes of recruitment to posts under Government of India.

35. National Research Professorships and Fellowships.

36. Holding of Foreign Examination in the fields of professional and technical education in India.

37. University Grants Commission.

38. National Council for Educational Research and Training.

39. National Book Trust.

40. Administrative Staff College of India, Hyderabad.

41. Indian School of Mines and Applied Geology, Dhanbad.

42. Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Mumbai, Kanpur, Chennai and Delhi.

43. Indian Institute of Science, Bangalore.

44. The Tata Institute of Social Sciences, Mumbai.

45. International Students Houses in India and abroad.

46. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

47. Schemes for grant of financial assistance to voluntary organisations for promotion of modern Indian languages.

C. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG).

1. Family Welfare.

2. Women and Child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.

3. References from the United Nations Organisations relating to traffic in women and children.

4. Care of pre-school children.

5. Coordination of National Nutrition Programme, Nutrition feeding of pre-school children and nutrition education of women.

6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

8. All other attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

9. Administration of Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956).

10. The Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

11. Coordination of activities of Cooperative American Relief Everywhere (CARE).

12. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare of women and children.

13. United Nations Children's Fund (UNICEF).

14. Central Social Welfare Board (CSWB).

15. National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).

16. Food and Nutrition Board.

17. (i) Development and popularisation of subsidary and protective foods.

(ii) Nutrition extension.";

(l) the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA) and the sub-headings and the entries thereunder shall be omitted;

(m) after the heading "MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SOOCHANA AUR PRASARAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY (SOOCHANA PRAUDHIKIKI MANTRALAYA)

1. Policy matters relating to information technology.

2. Promotion of knowledge-based enterprises.

3. Development of electronics and coordination amongst its various users.

4. All matters relating to the personnel under the control of the Ministry.

5. Coordination of requirements relating to electronics processing equipment (computers).

6. All matters pertaining to silicon facility.

7. All matters concerning computer based information, technology and processing including harware and software, standardisation of procedures and matters relevant to international bodies such as IFP, IBI, ICC.

8. Promotion of the internet.

9. Promotion of E-Commerce.

10. Promotion of information technology education and information technology-based education.

11. National Informatics Centre.

12. Electronics and Computer Software Export Promotion Council.

(n) after the heading "MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (VIDHI, NYAYA AUR KAMPANI KARYA MANTRALAYA)", and sub-headings and the entries thereunder, the following heading, sub-headings and entries related thereto shall be inserted, namely :-

"MINISTRY OF MINES AND MINERALS (KHAN AUR KHANIJ MAN TRALAYA)

A. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)

1. Exploration and development of coking and non-coking coal and lignite deposits in India.

2. All matters relating to production, supply, distribution and prices of coal.

3. Development and operation of coal washeries other than those for which the Department of Steel (Ispat Vibhag) is responsible.

4. Low Temperature carbonisation of coal and production of synthetic oil from coal.

5. Administration of the Coal Mines (Conservation and Development) Act, 1974 (28 of 1974).

6. The Coal Mines Provident Fund Organisation.

7. The Coal Mines Welfare Organisation.

8. Administration of the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1948 (46 of 1948).

9. Administration of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

10. Rules under the Mines Act, 1952 (32 of 1952) for the levy and collection of duty of excise on coke and coal produced and despatched from mines and administration of rescue fund.

11. Administration of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957).

12. Public Sector Enterprises dealing with coal and lignite.

13. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957) and other Union Laws in so far the said Act and Laws relate to coal and lignite and sand for stowing, business incidental to such administration including questions concerning various States.

B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)

1. (i) Legislation for regulation of mines and development of minerals within the territory of India, including mines and minerals underlying the ocean within the territorial waters or the continental shelf, or the exclusive economic zone and other maritime zones of India as may be specified, from time to time, by or under any law made by Parliament.

(ii) Regulation of mines and development of minerals other than coal, lignite and sand for stowing and any other mineral declared as prescribed substances for the purpose of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) under the control of the Union as declared by law, including questions concerning regulation and development of minerals in various States and the matters connected therewith or incidental thereto.

2. All other metals and minerals not specifically allotted to any other Ministries/Departments, such as, aluminium, zinc, copper, gold, diamonds, lead and nickel.

3. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

4. Geological Survey of India.

5. Indian Bureau of Mines.

6. All other Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

7. The Sikkim Mining Corporation Limited.

8. Public Sector Enterprises and undertakings falling under the subjects included in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.

9. Metallurgical Grade Silicon.";

(o) after the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND NATRUAL GAS (PETROLEUM AUR PRAKRITIK GAS MANTRA-LAYA)" and the entries thereunder, the following headings and the entries related thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF PLANNING (YOJANA MANTRALAYA)

Responsibility to Parliament in regard to the subjects of national planning.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN VIBHAG)

1. Act as the nodal agency for planning integrated development of the statistical system in the country.

2. Coordination of statistical work with a view to identifying gaps in data availability or duplication of statistical work in respect of Departments of the Government of India and State Statistical Bureaux (SSBs) and to suggest necessary remedial measures.

3. Laying down and maintenance of norms and standards, in the field of statistics, involving concepts and definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.

4. Advise the Departments of the Government of India on statistical methodology and on statistical analysis of data.

5. Preparation of national and regional accounts as well as publication of annual estimates of national product, Government and private final consumption expenditure, capital formation, saving, estimates of capital stock and consumption of fixed capital, as also state level gross capital formation of supra-regional sectors and to prepare comparable estimates of State Domestic Product (SDP) at current prices.

6. Compilation and release of the index of industrial production (IIP) every month in the form of `quick estimates'; conducting of Annual Survey of Industries (ASI); and providing of statistical information to assess and evaluate the changes in the growth, composition and structure of the organised manufacturing (factories) sector.

7. Organisation and conduct of periodic all India economic census and follow-up sample surveys.

8. Conducting of large scale all-India sample surveys for creating data base needed for studying the impact of specific problems for the benefit of different population groups in diverse socio-economic areas such as employment, consumer expenditure, housing conditions and environment, literacy levels, health, nutrition, family welfare, etc.

9. Examination of the survey reports from technical angle and evaluation of appropriate sampling design including survey feasibility studies/techno-analytical studies in respect of surveys conducted by the National Sample Survey Organisation (NSSO) and other Central Ministries and Departments.

10. Providing of an in-house facility to process data collected through various socio-economic surveys and follow-up surveys of Economic Census conducted by the National Sample Survey Organisation and the Central Statistical Organisation.

11. Dissemination of statistical information on various aspects through a number of regular or adhoc publications to Government, semi-Government, or private data user/agencies; and dissemination of data, on request, to United Nations Agencies like United Nations School Organisation, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and International Labour Organisation; and other relevant international agencies.

12. Giving grants-in-aid to registered non-governmental organisations and research institutions of repute for undertaking special studies or surveys, printing of statistical reports, and finance seminar, workshop, or conference relating to different subject areas of official statistics.

13. Functioning as the Cadre Controlling Authority and deal with the centralised aspects of managing the Indian Statistical Service including all matters pertaining to training, career planning and manpower planning.

14. The Indian Statistical Institute and ensuring its functioning in accordance with the provisions of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959).

15. Monitoring of 20 point programme.

16. Monitoring of the performance of Infrastructure Sectors; and

17. Monitoring of projects of Rs.20 crores and above";

(p) the heading "MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM MANTRALAYA)" and the sub-headings "(A) DEPARTMENT OF PLANNING (YOJANA VIBHAG) and (B) DEPARTMENT OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SANKHYIKI AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN VIBHAG)" and the entries relating thereto shall be omitted;

(q) under the heading "MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (GRAM VIKAS MANTRALAYA)", -

(r) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)", entries 3 to 5 shall be omitted;

(s) after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF LAND RESOURCES (BHUMI SANSADHAN VIBHAG)" and the entries thereunder the following sub-heading and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

"C. DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY (PEYA JAL POORTI VIBHAG)

1. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to rural areas; International cooperation and technical assistance in this field.

2. Public co-operation, including all matters relating to voluntary agencies for rural development and National Fund for Rural Development.

3. Co-operatives relatable to the items in this list.

4. Coordination with respect to the matters relating to drinking water supply in urban and rural areas.";

(t) after heading "MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)" and the sub-headings and the entries thereunder, the following heading and the entries relating thereto shall be inserted, namely :-

"MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (LAGHU UDYOG AUR KRISHI EVAM GRAMIN UDYOG MANTRALAYA)

1. Co-ordination of the Development of small-scale industries:-

   (i) Small Industries Board.
   (ii) National Small Industries Corporation Limited.
   (iii) Setting up of new industries, for providing employment, in places where there are heavy concentrations of displaced persons from West Pakistan.

2. Village and cottage industries.

3. Co-ordination of matters relating to Rural Industrialisation.

4. Coir Industry.

5. The Coir Board.

6. Promotion of micro and small enterprises for employment creation under specific schemes such as the Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY).";

(u) for the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)", and the sub-heading and the entries thereunder, the following heading and the entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"MINISTRY OF STEEL (ISPAT MANTRALAYA)

1. Steel Plants in the public and private sectors, the re-rolling industry and ferro-alloys, including all future developments.

2. Development of iron ore mines, in the public sector.

3. Development of other ore mines and coal washeries and mineral processing for the steel plants.

4. Production, distribution, prices, imports and exports of iron and steel and ferro-alloys.

5. Planning, development and control of and assistance to, all iron and steel industries.

6. Production, supply, pricing and distribution of iron ore, manganese ore, limestones, Sillimanite, kyanite and other minerals and alloys used in steel industry including magnesite and refractories but excluding mining leases or matters connected therewith.

7. The Steel Authority of India Limited and its subsidiaries.

8. Matters relating to the following undertakings, namely:-

(1) Visvesvaraya Iron and Steel Limited.
(2) The Bolani Ores (India) Ltd.
(3) The Manganese Ore (India) Ltd.
(4) The Metals Scrap Trading Corporation.

9. Other public Sector Enterprises or Undertakings falling under the subjects included in this list, except those which are specifically allotted to any other Department.

10. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list";

(v) for the heading "MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (JAL BHOOTAL PARIVAHAN MANTRALAYA)", the following sub-headings and the entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (JAL BHOOTAL PARIVAHAN MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF SHIPPING (POT PARIVAHAN VIBHAG)

I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST 1 OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:

1. Maritime shipping and navigation; provision of education and training for the mercantile marine.

2. Lighthouses and lightships.

3. Administration of the Indian Ports Act, 1908, (15 of 1908) and the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and ports declared as major ports.

4. Shipping and navigation including carriage of passengers and goods on inland waterways declared by Parliament by law to be national waterways as regards mechanically propelled vessels, the rule of the road on such waterways.

5. Ship-building and ship-repair industry.

6. Fishing vessels industry.

7. Floating craft industry.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

8. Inland waterways and traffic thereon.

III. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES OF THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS AND THE LAKSHADWEEP:

9. Organisation and maintenance of mainland islands and inter-island shipping services.

IV. OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

10. Legislation relating to shipping and navigation on inland waterways as regards mechanically propelled vessels and the carriage of passengers and goods on inland waterways.

11. Legislation relating to and coordination of the development of minor and major ports.

12. Administration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) and the Schemes framed thereunder other than the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Scheme, 1961.

13. To make shipping arrangements for and on behalf of the Government of India/Public Sector Undertakings/State Governments/ State Government Public Sector Undertakings and autonomous bodies in respect of import of cargo on FOB/FAS and export on C&F/CIF basis.

14. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of ports, shipping and inland waterways.

V. SUBORDINATE OFFICES:

15. Directorate General of Shipping.

16. Andaman Lakshadweep Harbour Works.

17. Directorate General of Lighthouses and Lightships.

18. Minor Ports Survey Organisation.

VI. AUTONOMOUS BODIES:

19. Port Trusts at Mumbai, Calcutta, Kochi, Kandla, Chennai, Mormugao, Jawahar Lal Nehru(Nhava Sheva), Paradip, Tuticorin, Visakhapatnam and New Mangalore.

20. Dock Labour Boards at Calcutta, Kandla, Chennai, Mormugao and Visakhapatnam.

21. Inland Waterways Authority of India.

22. Seamen's Provident Fund Organisation.

VII. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

23. National Institute of Port Management.

24. National Ship Design and Research Centre.

25. Seafarers Welfare Fund Society.

VIII. PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

26. Shipping Corporation of India.

27. Hindustan Shipyard Limited.

28. Cochin Shipyard Limited.

29. Central Inland Water Transport Corporation Limited.

30. Dredging Corporation of India.

31. Hooghly Dock and Ports Engineers Limited.

IX. INTERNATIONAL ASPECTS:

32. International Maritime Organisation.

X. ACTS:

33. The Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908).

34. The Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917).

35. The Dock Workers(Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

36. The Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

37. The Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

38. The Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).

39. The Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985).

B. DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARG VIBHAG)

I. THE FOLLOWING SUBJECTS WHICH FALL WITHIN LIST OF THE SEVENTH SCHEDULE TO THE CONSTITUTION OF INDIA:

1. Compulsory insurance of motor vehicles.

2. Administration of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

3. Highways declared by or under law made by Parliament to be national highways.

II. IN RESPECT OF THE UNION TERRITORIES:

4. Roads other than National Highways.

5. Tramways including elevated high speed trams within municipal limits or any other contiguous zone.

6. Administration of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and taxation of motor vehicles.

7. Vehicles other than mechanically propelled vehicles.

III OTHER SUBJECTS WHICH HAVE NOT BEEN INCLUDED UNDER THE PREVIOUS PARTS:

8. Central Road Fund.

9. Coordination and Research pertaining to Road Works.

10. Road works financed in whole or in part by the Central Government other than rural roads and the road works in the tribal areas in the states of Assam and Meghalaya specified in Parts I and II of the table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

11. Motor vehicles legislation.

12. Promotion of Transport Cooperatives in the field of motor transport and inland water transport.

13. Development of townships of Gandhidham.

14. Formulation of the privatisation policy in the infrastructure areas of roads.

IV. AUTONOMOUS BODIES:

15. National Highways Authority of India.

V. SOCIETIES/ASSOCIATIONS:

16. National Institute of Training for Highway Engineers.

VI.PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS:

17. Indian Road Construction Corporation.

VII.ACTS:

18. The Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950).

19. The National Highway Act, 1956 (48 of 1956).

20. The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

21. The National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988).

22. The Multimodal Transportation of Goods Act, 1993 (28 of 1993).";

(w) after the heading "MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRLAYA)", and the entries thereunder, the following heading and the entries relating thereto shall be inserted, namely :-

"MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS (JANJATIYA KARYA VIBHAG)

1. Social security and social insurance with respect to the Scheduled Tribes.

2. Tribal Welfare : Tribal welfare planning, project formulation, research, evaluation, statistics and training.

3. Promotion and development of voluntary efforts on tribal welfare.

4. Scheduled Tribes, including scholarship to students belonging to such tribes.

5. Development of Scheduled Tribes.

6. Attached or Subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

NOTE:The Ministry of Tribal Affairs shall be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development for the Scheduled Tribes. In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be

the responsibility of the concerned Central Ministries/Departments, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry/ Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

7. (i) Scheduled Areas;

(ii) Matters relating to autonomous districts of Assam excluding roads and bridge works and ferries thereon; and

(iii) Regulations framed by the Governors of States for Scheduled Areas and for Tribal Areas specified in Part 'A' of the Table appended to paragraph 20 of the Sixth Schedule to the Constitution.

8. (i) Commission to report on the administration of Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes; and

(ii) Issue of directions regarding the drawing up and execution of schemes essential for the welfare of the Scheduled Tribes in any State.

9. Reports of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in so far as they relate to Scheduled Tribes.

(x) under the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT)", for the entries 1 to 38, the following entries shall be substituted, namely:-

1. Properties of the Union, whether lands or buildings, with the following exceptions :-

(i) Those belonging to the Ministry of Defence (Raksha Mantralaya) the Ministry of Railways (Rail Mantralaya) and the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

(ii) Buildings or lands, the construction or acquisition of which has been financed otherwise than from the Civil Works Budget; and

(iii) Buildings or lands, the control of which has at the time of construction or acquisition or subsequently been permanently made over to other Ministries and Departments.

2. All Government Civil Works and Buildings including those of Union territories excluding Roads and excluding works executed by or buildings belonging to the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Department of Posts (Dak Vibhag), Department of Telecommunications (Doorsanchar Vibhag), Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag) and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

3. Horticulture operations.

4. Central Public Works Organisation.

5. Administration of Government estates including Government Hostels under the control of the Ministry. Location or dispersal of offices in or from the metropolitan cities.

6. Allotment of accommodation in Vigyan Bhawan.

7. Administration of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952).

8. Administration of Delhi Hotels (Control of Accommodation Act, 1949 (24 of 1949).

9. The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971).

10. Administration of four Rehabilitation Markets viz. Sarojini Nagar Market, Shankar Market, Pleasure Garden Market and Kamla Market.

11. Issue of lease or conveyance deeds in respect of Government built properties in Delhi and New Delhi under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954) and conversion of lease deeds, allotment of additional strips of land and correctional areas adjoining such properties.

12. Stationery and Printing for the Government of India including official publications.

13. Planning and Coordination of urban transport systems, with technical planning and road based systems being subject to items 22 and 23 under the Ministry of Surface Transport (Jal-Bhootal Pariwahan Mantralaya) and technical planning of rail based systems being subjects to items 1 and 2 under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board).

14. Town and Country Planning; matters relating to the Planning and Development of Metropolitan Areas, International Cooperation and technical assistance in this field.

15. Schemes of large scale acquisition, development and disposal of land in Delhi.

16. Delhi Development Authority.

17. Master Plan of Delhi, Coordination of work in respect of the Master Plan and Slum Clearance in the National Capital Territory of Delhi.

18. Erection of memorials in honour of freedom fighters.

19. Administration of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

20. The Delhi Rent Control Act, 1958 (59 of 1958).

21. Development of Government Colonies.

22. Local Government, that is to say, the constitution and powers of the Municipal Corporations (excluding the Municipal Corporation of Delhi), Municipalities (excluding the New Delhi Municipal Committee), other Local Self-Government Administrations excluding Panchayati Raj Institutions.

23. The Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking of the Municipal Corporation of Delhi.

24. Water supply (subject to overall national perspective of water planning and coordination assigned to the Ministry of Water Resources), sewage, drainage and sanitation relating to urban areas and linkages from allocated water resources. International cooperation and technical assistance in this field.

25. The Central Council of Local Self-Government.

26. Allotment of Government land in Delhi.

27. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

28. Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.

29. The Urban Land (Celling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976).

30. Delhi Urban Art Commission, the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1973).

31. Administration of Rajghat Samadhi Committee.

32. All matters relating to Planning and Development of the National Capital Region and administration of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985).

33. Matters relating to the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH).

(y) after the heading "MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and the entries shall be added, namely:-

"MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHAHARI ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN MANTRALAYA)

1. Formulation of housing policy and programme (except rural housing which is assigned to the Department of Rural Development, Poverty Alleviation and Rural Employment (Gramin Vikas, Garibi Upshaman aur Gramin Rozgar Vibhag), review of the implementation of the Plan Schemes, collection and dissemination of data on housing, building materials and techniques, general measures for reduction of building costs and nodal responsibility for National Housing Policy.

2. Human Settlements including the United Nations Commission for Human Settlements and International Corporation and Technical Assistance in the field of Housing and Human Settlements.

3. Urban Development including Slum Clearance Schemes and the Jhuggi and Jhonpri Removal Schemes. International Cooperation and technical assistance in this field.

4. National Cooperative Housing Federation.

5. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation including other programmes evolved from time to time.";

(z) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)",-

(I) for the existing entries 23, 24 and 25 the following entries shall be substituted, namely:-

"23. Scheduled Castes and other Backward Classes including scholarships to students belonging to such Castes and Classes

24(i) Appointment, resignation, etc. of Chairperson, Vice-chairperson, and other Members of the National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(ii) Reports of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in so far as they relate to Scheduled Castes.

25. Development of Scheduled Castes.

NOTE:The Ministry of Social Justice and Empowerment will be the nodal Ministry for overall policy, planning and coordination of programmes of development for Scheduled Castes.In regard to sectoral programmes and schemes of development of these communities policy, planning, monitoring, evaluation etc. as also their coordination will be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union Territory Administrations. Each Central Ministry and Department will be the nodal Ministry or Department concerning its sector.

(II) the entries 27 and 28 shall be omitted.".

(a a) the heading "DEPARTMENT OF ELECTRONICS (ELECTRONIKI VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(b b) under the heading "PLANNING COMMISSION (YOJANA AYOG)", entry "10. National Informatics Centre" shall be omitted.".

K.R. NARAYANAN
PRESIDENT.

[F.No. 1/22/1/99-Cab.]
V.K. GAUBA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054